PERFECT 7
साप्ताहिक
समसामयिकी

जुलाई-2019 | अंक-1

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019

पर्यावरणीय क्रियाशीलता के लिए योग

- भारत में बढ़ता जल संकट एवं उसका समाधान
- भारतीय संघवाद : केन्द्र-राज्य संबंधों में बढ़ता टकराव
- डॉक्टरों की हड़ताल : एक विकट समस्या
- भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक : एक अवलोकन
- सर्कुलर इकोनॉमी : विकास का एक वैकल्पिक मॉडल
- अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति में भारत की तैयारी : एक विश्लेषण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

FELICITATION PROGRAMME FOR UPSC TOPPERS 2018

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

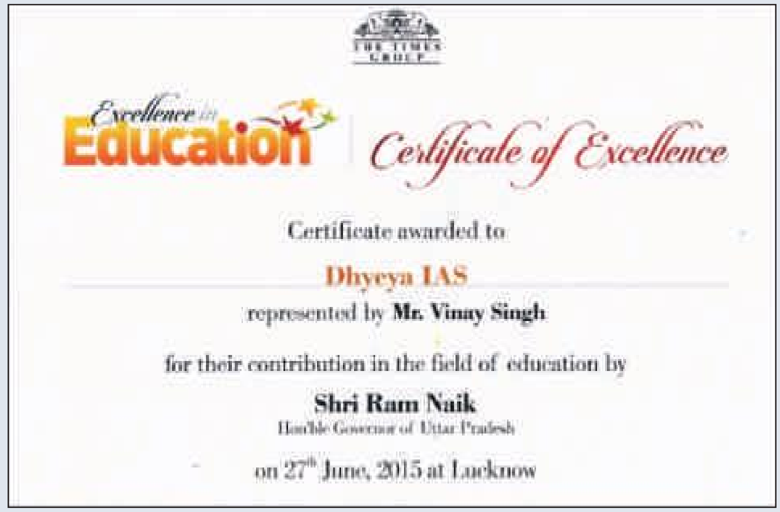

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

जुलाई-2019 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन, प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम, अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 : पर्यावरणीय क्रियाशीलता के लिए योग
- भारत में बढ़ता जल संकट एवं उसका समाधान
- भारतीय संघवाद : केन्द्र-राज्य संबंधों में बढ़ता टकराव
- डॉक्टरों की हड़ताल : एक विकट समस्या
- भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक : एक अवलोकन
- सर्कुलर इकोनॉमी : विकास का एक वैकल्पिक मॉडल
- अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति में भारत की तैयारी : एक विश्लेषण

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 : पर्यावरणीय क्रियाशीलता के लिए योग

चर्चा का कारण

21 जून 2019 को पूरे विश्व में पाँचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस का विषय 'Yoga for climate change' रखा गया।

पृष्ठभूमि

योग की महत्ता को विश्व में ख्याति दिलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का विचार सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की 'वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति' की कार्यसूची के तहत अपनाया गया था। विदित हो कि अमेरिका, कनाडा, चीन एवं मिस्र सहित 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था जोकि यूएनओ के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। प्रस्ताव को महज 90 दिनों में पारित कर उसे लागू किया गया।

इस दिवस के लिए 21 जून की तारीख का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह दिन उत्तरी गोलार्द्ध (ग्रीष्मकालीन संक्रांति) का सबसे लंबा दिन होता है जिसका दुनिया के कई हिस्सों में विशेष महत्त्व है, साथ ही आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी यह दिन विशेष महत्त्व रखता है। दरअसल भारतीय मान्यता के अनुसार आदि योगी शिव ने इसी दिन मनुष्य जाति को योग विज्ञान की शिक्षा देनी शुरू की थी, जिसके बाद वे आदि गुरू बने। स्मरणीय हो कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईवाईडी) 21 जून 2015 को मनाया गया था।

परिचय

योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'युज' शब्द से हुई है, जिसका मतलब जोड़ना, एकीकरण करना या बांधना होता है। आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने का अर्थ है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन होना वहीं व्यावहारिक स्तर पर योग को शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने तथा तालमेल बनाने का एक साधन माना जाता है।

ज्ञातव्य है कि आज से हजारों वर्ष पहले ही योग अस्तित्व में आ गया था। भारत में तो योग की शुरूआत करीब दस हजार साल पहले ही हो गई थी। वैदिक संहिताओं के अनुसार सप्तऋषियों में से एक अगस्त्य मुनि ने भारत में योग को जनजीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में भारतीय महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र पुस्तक लिखी। यह आधुनिक योग विज्ञान की अति महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है।

आधुनिक समय की बात करें तो 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने उस समय के आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से परिचय करवाया था। वहीं परमहंस योगानंद ने 1920 में बोस्टन में क्रिया योग सिखाया था। उसके बाद कई गुरुओं और योगियों ने दुनियाभर में योग का प्रसार किया और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू किया। यहां तक की योग को एक विषय के रूप में भी अध्ययन किया जाने लगा।

योग के विविध आयाम

हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा के बाद योग पद्धतियों के बारे में जागरूकता में इजाफा हुआ है। यूरोप, अमेरिका, एशिया आदि महाद्वीपों के विभिन्न देशों में इसकी बढ़ती लोकप्रियता इसे प्रमाणित कर रही है। अगर देखा जाए तो इसकी वजह योग का व्यक्ति से जुड़कर उसे शारीरिक व मानसिक स्तर पर स्वस्थ रखना है। सामान्यतः योग किसी व्यक्ति के शरीर, मन, संवेदना, संवेग के स्तर पर काम करता है। ऐसे में मोटे तौर पर योग के चार वर्गीकरण हुए हैं-

- कर्म योग : इसमें शरीर का उपयोग होता है।
- ज्ञान योग : इसमें बुद्धि का उपयोग किया जाता है।
- भक्ति योग : इसमें भावनाओं का उपयोग किया जाता है।
- क्रिया योग : इस योग में ऊर्जा का उपयोग होता है।

ज्ञातव्य है कि आज योग की जिस भी पद्धति का उपयोग किया जाता है, वह ऐसी ही किसी एक या ज्यादा श्रेणियों के दायरे में आता है। हर व्यक्ति को इन चार पहलुओं का संयोजन माना जाता है।

व्यापक स्तर पर देखें तो प्रचलित योग साधनाएँ निम्न तरह की होती हैं-

- यम : यह जीवन में अहिंसा, आत्मसंयम, सत्य इत्यादि पर जोर देती हैं।
- नियम : इसके अंतर्गत पवित्रता, एकाग्रता और दृढ़ता जैसे नियमों के नित्य पालन पर बल दिया जाता है।
- आसन : देह को अनुशासित करने के लिए शारीरिक अभ्यास पर बल देता है, जैसे योग मुद्राएँ, स्वास्थ्यवर्द्धन कृत्य आदि।
- प्राणायाम : जीवन-शक्ति के संरक्षण के लिए श्वास का नियमन करने पर बल देता है।
- प्रत्याहार : संवेदी अंगों के उपयोग को सीमित करता है अर्थात् बाहरी वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने पर जोर देता है।
- धारण : एक ही लक्ष्य पर ध्यान देने को महत्त्व देता है।
- समाधि : ध्यान की वस्तु को चेतना के साथ विलय करता है। यह योग की चरमावस्था मानी जाती है।

योग दिवस मनाये जाने के कारण

यहाँ हम उन कारणों का जिक्र कर सकते हैं, जिसके तहत योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ख्याति दिलाई गई।

- योग के द्वारा लोगों के बीच वैश्विक समन्वय स्थापित करना।
- लोगों को योग के फायदों के बारे में जागरूक करना और उनको प्रकृति से जोड़ना।
- विश्वभर में चुनौतीपूर्ण बीमारियों की दर को घटाना।
- पूरे विश्व में संवृद्धि, विकास और शांति को फैलाना।
- लोगों को शारीरिक और मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना और योग के माध्यम से इसका समाधान उपलब्ध कराना।

योग का महत्त्व

योग के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- योग न सिर्फ शारीरिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि व्यक्तित्व की कमियों को दूर कर हमें मानसिक रूप से सबल बनाता है।
- असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार कर योग हमारी व्यवहारकुशलता व कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार योग हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
- अगर नियमित योग अभ्यास किया जाए तो सभी स्वास्थ्य चुनौतियाँ इसके माध्यम से पार लगायी जा सकती हैं।
- योग से मानसिक शांति के साथ शांतिपूर्ण वातावरण का भी निर्माण किया जा सकता है, जो वर्तमान विश्व की माँग भी है। दरअसल आज मानसिक अशांति के चलते व्यक्तिगत व सामूहिक संघर्ष बढ़े हैं।
- हमारी बदलती जीवन शैली के लिए भी योग करना अनिवार्य हो जाता है।
- यह हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद कर सकता है।
- योग से शरीर में लचीलापन और मांसपेशियों में ताकत आती है, साथ ही संतुलित रक्तचाप भी बना रहता है।
- इसकी महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया जा चुका है।

भारत के लिए योग का महत्त्व

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एसोचैम) द्वारा किये गए एक अध्ययन के मुताबिक केवल भारत में ही करीब तीन लाख से ज्यादा योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। वहीं विश्व में करीब 5 लाख योग प्रशिक्षकों की कमी महसूस की जा रही है।
- अध्ययन के अनुसार योग प्रशिक्षकों की सबसे अधिक माँग दक्षिणपूर्व एशिया में है। भारत के लगभग 3000 योग प्रशिक्षक चीन में कार्य कर रहे हैं, जिसमें अधिकतर योग प्रशिक्षक भारत में योग की राजधानी कहे जाने वाले स्थान हरिद्वार और ऋषिकेश से हैं। इस प्रकार योग के क्षेत्र में अपार रोजगार की संभावनाएँ मौजूद हैं, जिसका लाभ भारत उठा सकता है।
- सॉफ्ट पावर के लिहाज से भी भारत के लिए योग का महत्त्व बढ़ जाता है। विदित हो कि सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके माध्यम से कोई देश परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। ज्ञातव्य है कि भारत हमेशा से ही सॉफ्ट पावर नीति का समर्थक रहा है। अगर भारत में योग को बढ़ावा दिया जाता है तो भारत योग गुरू की भूमिका निभा सकता है।
- इसके अतिरिक्त भारत योग को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर विश्व में सांस्कृतिक बढ़त बना सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे चीन में आज 3000 से ज्यादा योग शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचार-प्रसार कर अपनी संस्कृति की महानता से विश्व को परिचित करा कर उसे अपने पक्ष में कर सकता है।
- भारत योग के माध्यम से मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ ही रोग को भी कम कर सकता है। आज भारत में आए दिन नई-नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, ऐसे में अगर योग को बढ़ावा दिया जाएगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जा सकेगा।
- इस प्रकार योग अपनाने से लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होने से बचेगा जिसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जा सकेगा। साथ ही सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो धन व्यय करती है वह भी बचेगा। अतः योग भारत के लिए अवसरों की खुली खिड़की साबित हो सकती है।

सरकारी प्रयास

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में अच्छी सेहत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूलों और कार्यस्थलों में योग अभ्यास को शामिल किया है।
- योग को स्कूली पाठ्यक्रम के रूप में बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने अपने 15 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के जरिये योग शिक्षा को जरूरी बना दिया है।
- आयुष मंत्रालय ने योग प्रशिक्षकों के सर्टिफिकेशन और योग संस्थानों व कार्मिक प्रमाणीकरण ईकाई को मान्यता देने के लिए योग प्रमाणीकरण बोर्ड का गठन किया है।
- वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग का गठन किया है और एक विशेषज्ञ समिति बनाकर बीएससी, एमएससी और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए मानक पाठ्यक्रम तैयार किया है।
- उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के तत्वावधान में भारतीय दूतावासों में भी योग शिक्षकों की नियुक्ति करता है ताकि स्थानीय छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को प्रशिक्षण मिल सके।
- आईसीसीआर ने भारत-चीन योग कॉलेज नाम से एक योग कॉलेज स्थापित करने के लिए चीन के 'युत्र मिन्जु' विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है।
- सरकार ने योग को प्रसारित करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरूआत की है।
- सरकार ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय केन्द्रीय सैन्य बल को योग प्रशिक्षण देने की भी शुरूआत की है। उल्लेखनीय है कि इन संस्थानों द्वारा अभी तक 1,385 योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- हाल ही में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार की शुरूआत की है जिसके तहत योग के क्षेत्र में दो राष्ट्रीय, दो अंतर्राष्ट्रीय समेत 4 पुरस्कारों का ऐलान किया गया है।
- गौरतलब है कि योग को बच्चों तक पहुँचाने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ समय पूर्व योग ओलंपियाड की पहल की है।

चुनौतियाँ

सरकार योग को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए जो प्रयास कर रही है वह सराहनीय है। इसके बावजूद इस मार्ग में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं जिनका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

- भारत में योग को लेकर व्यापक जन जागरूकता की कमी है।
- विभिन्न धर्मो (विशेषत: मुस्लिम) में योग को लेकर विभिन्न मत हैं। नतीजतन कुछ धर्म इसको हिन्दू धर्म से जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मुस्लमानों द्वारा 'सूर्य नमस्कार' व 'श्लोक' जप पर आपत्ति दर्ज करना।
- योग को लेकर राज्य सरकारों की नीति का स्पष्ट न हो पाना एक अन्य चुनौती पेश कर रही है।
- आज भी देश में योग से संबंधित शिक्षकों तथा बुनियादी सुविधाओं का अभाव है नतीजतन योग आम जनता की पहुँच से दूर हो जाता है।

आगे की राह

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि योग एक विज्ञान है और यह स्वास्थ्यकर जीवन जीने का माध्यम है जो सकारात्मक व्यक्तित्व हासिल करने में सहायक हो सकता है। ऐसे में इसकी महत्ता से आम जन व विश्व को परिचित कराना आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों का जिक्र किया जा सकता है-

- योग प्रशिक्षण शिविर या सभाएँ आज देश के विशिष्ट शहरों तक ही सीमित हैं। योग का लाभ आम जनता तक पहुँचे इसके लिए योग शिविर को ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है।
- योग का संबंध स्वास्थ्य से होता है न कि धर्म से इसीलिए इसे विभिन्न धर्मों के लोगों को अपनाना चाहिए। इसके लिए उन्हें योग की महत्ता सही से समझाने की आवश्यकता है।
- योग के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरू बनने के लिए योग से संबंधित शिक्षकों तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की जरूरत है।
- आज भी भारत का एक बड़ा वर्ग योग की महत्ता से अनजान है। ऐसे में जरूरत है कि उन्हें समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक के साथ-साथ स्कूलों, कॉलेजों तथा कैंपों के माध्यम से जागरूक किया जाए।
- पिछले लगभग दो दशकों में जिस तरह से स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर और अभिजात श्रीधर आयंगर समेत विभिन्न योग प्रचारकों ने योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक इसी तरह की भूमिका योग गुरूओं, शिष्यों और संस्थाओं को भी निभाने की जरूरत है। इसके लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

2. भारत में बढ़ता जल संकट एवं उसका समाधान

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ-साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक में ही 2024 तक देश के हर घर तक 'नल से जल' पहुँचाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय कर दिया है।

परिचय

सुरक्षित पेयजल जीवन के अधिकार का एक अंतरंग हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित पीने के पानी को एक मौलिक अधिकार और जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों में सुरक्षित और सस्ते पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना निर्धारित किया है, जिसे हासिल करने के लिए भारत भी प्रतिबद्ध है।

विगत कुछ दशकों पहले तक भारत स्वच्छ पेयजल के लिए प्राकृतिक जलाशयों और कुंओं पर निर्भर रहता था। परंतु अब इन जलस्रोतों के लगातार सूखने से देश को तीव्र जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार सूखे के कारण स्थिति और खराब होती जा रही है। भारत के संविधान में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान को प्राथमिकता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्यों का कर्त्तव्य है। इसके अतिरिक्त भारत में पानी के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार से प्राप्त किया गया है। आंध्रप्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड बनाम प्रोफेसर एम.वी. नायडू केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पीने का पानी जीवन के लिए एक मौलिक अधिकार है और राज्य का कर्त्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। यह निर्णय स्वच्छ पेयजल के दावों को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने में एक विशिष्ट महत्त्व रखता है।

वर्तमान स्थिति चिंताजनक

देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की स्थिति बेहद गंभीर है। सरकार द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत के 16.78 करोड़ घरों में से केवल 2.69 करोड़ (16%) घरों तक पाइप से पानी की पहुँच है। इसके अतिरिक्त 22 फीसद ग्रामीण परिवारों को पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर और इससे अधिक दूर पैदल चलना पड़ता है। गाँवों में 15 फीसद परिवार बिना ढके कुंओं पर निर्भर हैं तो अन्य लोग दूसरे अपरिष्कृत पेयजल संसाधनों जैसे- नदी, झरने, तालाबों आदि पर निर्भर रहते हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में जलापूर्ति की स्थिति बेहद गंभीर है, जहाँ पाइपलाइन से आपूर्ति पाँच प्रतिशत से भी कम है। वर्तमान में सिक्किम

भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ 99 फीसद घरों में नलों से जलापूर्ति की जाती है। इसके बाद गुजरात का स्थान है जहाँ 75 फीसद लोगों को पाइपलाइन से पेयजल मिलता है।

इस संदर्भ में नीति आयोग ने अपने दृष्टिकोण में कुछ चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर किया है।

नीति आयोग की रिपोर्ट

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक देश में पानी की माँग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इनमें दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर शामिल हैं। जल संकट की वजह से देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी देखी जाएगी।
- स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा जुटाए डाटा का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि करीब 70 प्रतिशत प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर है।
- नीति आयोग ने कहा है कि अभी 60 करोड़ भारतीय गंभीर से गंभीरतम जल संकट का सामना कर रहे हैं और दो लाख लोग स्वच्छ पानी तक पर्याप्त पहुँच न होने के चलते हर साल अपनी जान गँवा देते हैं। इसके अतिरिक्त अगले 11 सालों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा।
- रिपोर्ट में जल संसाधनों और उनके कुशलतम उपयोग पर जोर दिया गया है। 2016-17 की इस रिपोर्ट में गुजरात को जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के मामले में पहला स्थान दिया गया है। सूचकांक में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष पर रहा है जिसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम का नंबर आता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जल प्रबंधन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं।
- नीति आयोग ने कहा है कि देश में पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी के नियोजन की कमी है। राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाना, पानी की बचत करना और बेहतर जल प्रबंधन कुछ ऐसे काम हैं जिनसे कृषि आमदनी बढ़ सकती है और गाँव छोड़कर शहर आए लोग वापस गाँव की ओर लौट सकते हैं।
- जल संकट के मामले में इस समय चेन्नई और दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। चेन्नई जहाँ करीब 6 महीनों से बारिश नहीं हुई है वहाँ करीब 46 लाख लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। दक्षिण चेन्नई में लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ टैंकर माफिया पानी सप्लाई कर रहा है और एक टैंकर पानी के लिये तीन से चार हजार रुपये वसूले जा रहे हैं।
- चेन्नई में रोज 130 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है और वहां अभी सिर्फ 83 करोड़ लीटर पानी ही सप्लाई हो रहा है। बारिश कम होने से चेन्नई शहर के आस-पास की 4 झीलें सूख चुकी हैं। इन झीलों में एक प्रतिशत पानी भी नहीं बचा है।
- इसके अलावा दिल्ली को रोज करीब 450 से 470 करोड़ लीटर पानी चाहिए, लेकिन सप्लाई सिर्फ 75 प्रतिशत ही है। सप्लाई होने वाले करीब 340 से 350 करोड़ लीटर पानी का आधा हिस्सा हरियाणा से आता है। जबकि बाकी पानी गंगा नदी और भू जल के जरिये मिलता है।
- चिंता की बात ये है कि दिल्ली का 90 प्रतिशत भू-जल गंभीर स्थिति में पहुँच गया है। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में भू-जल दो मीटर तक प्रति वर्ष के हिसाब से घट रहा है। दिल्ली का 15 प्रतिशत इलाका अब संकटग्रस्त क्षेत्र में है।
- नीति आयोग ने खुलासा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था Water Aid की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक दुनिया के 21 शहरों में Day Zero (नलों से पानी बंद होने का गंभीर खतरा मंडराना) जैसे हालात बन जाएंगे और 2040 तक भारत समेत 33 देश पानी के लिये तरसने लगेंगे। जबकि वर्ष 2050 तक दुनिया के 200 शहर खुद को Day Zero वाले हालात में पाएंगे।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट

- केंद्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि 2017 में मानसून पूर्व देश में सामान्य तौर पर पाँच से दस मीटर की गहराई पर पानी निकलता था। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे जहाँ 40 मीटर पर पानी निकलता था।
- देश में सबसे ज्यादा गहराई 130 मीटर से ज्यादा पर बीकानेर में भूजल निकलता है। बोर्ड ने ये निष्कर्ष देश में 23 हजार से ज्यादा मॉनीटरिंग सेंटरों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निकाले हैं।
- रिपोर्ट में देश के करीब साढ़े 13 हजार कुओं का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 48 फीसदी कुओं में पानी का स्तर घटता है और इतने कुओं में ही बढ़ता है। घटना बढ़ना दोनों 2 से 4 मीटर की रेंज में होता है। लेकिन चेतावनी वाली बात ये है कि 2007 से 2017 के दस सालों के दौरान देश के 61 फीसदी कुओं के जलस्तर में गिरावट दर्ज हुई और इनमें से 43 फीसदी का पानी दो मीटर तक नीचे चला गया। ये गिरावट कमोबेश सभी राज्यों में दर्ज हुई है।
- देश में उपलब्ध पानी का 85 फीसदी खेती में लगता है और इसमें से भी 65 फीसदी भूमिगत जल खेती में इस्तेमाल होता है साथ ही पीने और घरेलू इस्तेमाल में महज 6 फीसदी पानी इस्तेमाल किया जाता है। भारत में खेती के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है और इसकी वजह पैदावार के परंपरागत तरीके हैं।
- भू-जल स्तर में गिरावट के अलावा इसके प्रदूषित और अस्वास्थ्यकर होने की चिंताएँ अलग हैं। देश के 224 जिलों में फ्लोराइड का स्तर मानक से ऊपर चल रहा है और इसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा 30 जिले हैं। इसी तरह आर्सेनिक का स्तर 10 राज्यों के 80 जिलों में मानक से अधिक है और इसमें सबसे ज्यादा यूपी के 20, असम के 18, बिहार के 15 और हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं। इसकी एक वजह फैक्ट्रियों से निकला रासायनिक पानी का जमीन में जाना भी है। इसे भी रोकने के इंतजाम नहीं दिखते हैं। हालांकि बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर हम जल संकट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।

जल प्रबंधन प्रणाली कैसे सुनिश्चित हो

- हमारे देश की आबादी को सुरक्षित और स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने में उपयुक्त तकनीक तथा नवाचार अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि इन तकनीकों

और नवाचारों में भारत की परंपरागत ज्ञान प्रणाली की अंतर्दृष्टि समाहित हो तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

- वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कृत्रिम वर्षा जल संरक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों या संरचनाओं को शामिल किया जाता है जिसमें तालाब, चेकडैम, गेबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डैम, सोखता गड्ढा, अधोभूमि अवरोधक, रोक बांध, रिचार्ज शॉफ्ट, अस्थायी बांध, गली प्लग (नाली अवरोधक) आते हैं।
- छत पर प्राप्त वर्षा जल का भूमि जलाशयों में पुनर्भरण जिन संरचनाओं द्वारा होता है, उनमें शामिल हैं- बंद या बेकार पड़े कुएं, नलकूप (हैण्ड पंप), पुनर्भरण पिट (गड्ढा) पुनर्भरण खाई।
- जहाँ जल की आपूर्ति बाधित होती है, सतही संसाधन का अभाव है या संसाधन पर्याप्त नहीं होता, वहाँ छत पर प्राप्त वर्षा जल का संचयन जल समस्या का बेहतर समाधान है।
- सूखे अनुपयोगी कुएं का उपयोग पुनर्भरण संरचना के रूप में किया जा सकता है। पुनर्भरित किये जा रहे वर्षा जल को एक पाइप के माध्यम से कुएं के तल या उसके जल स्तर के नीचे ले जाया जाता है ताकि कुएं के तल में गड्ढे होने व जलभृत में हवा के बुलबुलों को फँसने से रोका जा सके।
- भू-जल स्तर में निरंतर हो रही गिरावट के मद्देनजर समुद्र में बह जाने वाले वर्षा जल का भी संचयन आवश्यक है। भू-जल संसाधन में वृद्धि के लिए वर्षाजल का पुनर्भरण भी आवश्यक है।
- भारत में कुल उपलब्ध जल में से सबसे ज्यादा यानी करीब (तीन-चौथाई) जलोपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए होता है। सिंचाई में उपयोग तथा इलाके की जरूरत के अनुसार वर्षा आधारित खेती, प्राकृतिक खेती व सूखारोधी बीजों का चलन जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, पेयजल समेत शेष प्रकार के उपयोग के लिए जल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होती जाएगी।
- पेयजल से लेकर प्रत्येक मकसद में जितनी जरूरत उतने पानी की निकासी व प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खेतों में सिंचाई के लिए बूंद-बूंद सिंचाई तथा फव्वारा पद्धति का प्रयोग करना चाहिए।
- खेती में रसायनों व कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से जल ही नहीं बल्कि मिट्टी व इंसानों को भी खतरा है। इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हैंडपंप सुरक्षित जल का सबसे उपयुक्त साधन है। इसलिए, इससे 15 मीटर दूर तक कचरा/मलमूत्र के निस्तारण को रोकना होगा साथ ही जलस्रोतों को जीवाणुरहित करना होगा। इसके लिए कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का घोल डलवाने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से निभानी होगी।

सरकारी प्रयास

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत सुरक्षित पानी हर समय और सभी स्थितियों में सुलभ होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 2022 तक 70 लीटर स्वच्छ जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उनके घरेलू परिसर के भीतर या 50 मीटर तक की दूरी तक प्रदान करना है।
- वर्ष 2018 में शुरू हुए 'स्वजल योजना' के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति बढ़ाकर, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पीने के पानी की सुलभ सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना को 28 राज्यों के उन 117 जिलों तक विस्तारित किया गया जिसमें राष्ट्रीय औसत के 44 प्रतिशत की तुलना में केवल 25 प्रतिशत पाइप्ड जलापूर्ति वाले आवास हैं।
- भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत, पानी की गुणवत्ता और इससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों पर अग्रणी पहल की गई है।
- भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सतही जल आधारित पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को एक दीर्घकालिक टिकाऊ समाधान के रूप में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
- सरकार जल उपचार तकनीकों को अधिक किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत है।
- पीने के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण की समस्याओं को रोकने के लिए नीति आयोग ने सामुदायिक जलशोधन संयंत्रों को चालू रखने की सिफारिश की थी जिसके पश्चात् आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन' शुरू किया।

गौरतलब है कि भारत सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

चुनौतियाँ

- भू-जल पर लगातार बढ़ती निर्भरता और इसका निरंतर अत्यधिक दोहन भू-जल स्तर को कम कर रहा है और पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो एक जटिल चुनौती है।
- जल स्रोतों के सूखने, भू-जल तालिका में तेजी से कमी, सूखे की पुनरावृत्ति और विभिन्न राज्यों में बिगड़ते जल प्रबंधन विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।
- बंद पड़े बोर पंपों, जलापूर्ति पाइपलाइनों की मरम्मत समय पर नहीं हो पा रही जिससे क्षेत्र विशेष में पयेजल संकट विद्यमान हो गया है।
- औद्योगीकरण और नगरीकरण के दबाव के कारण पानी के स्रोत नष्ट होते चले गए। इस चिंतनीय पक्ष को लगातार विभिन्न सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया।
- अधिकांश शहरों और लगभग 19,000 गाँवों के भू-जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, कीटनाशक आदि स्वीकार्य सीमा से अधिक मौजूद पाए गए। इस लिहाज से पानी की गुणवत्ता चुनौतीपूर्ण है।
- विश्व बैंक और यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित अध्ययन दर्शाते हैं कि ग्रामीण भारत में न केवल पेयजल अपर्याप्त है बल्कि देशभर में इसका असंतुलन बहुत व्यापक है।
- जल जनित रोग भारत में स्वास्थ्य संबंधी सबसे बड़ी चुनौती है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया-2018 में प्रकाशित आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार भारत में सूचित किए गए करीब एक चौथाई या चार मामलों में से एक संचारी रोगों की वजह से तथा हर पाँच मौतों में से एक जल जनित रोगों के कारण होती है।
- दुनिया के 30 देशों में जल संकट एक बड़ी समस्या बन चुकी है और अगले एक दशक में वैश्विक आबादी के करीब दो-तिहाई हिस्से को जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। वास्तविक अर्थों में भारत में जल संकट एक प्रमुख चुनौती बन चुका है।

आगे की राह

निष्कर्षत: किसी भी देश की वृद्धि और विकास के लिए प्रभावी जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है, इसलिए जल-संचयन और भंडारण पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कृषि और उद्योगों के साथ विशाल आबादी की पानी संबंधी माँगों को पूरा करने के लिए भारत को जल उपलब्धता, अनुकूलतम प्रबंधन, बेहतर आवंटन प्रक्रिया, रिसाव की उच्च-दर में कमी लाना, गंदे पानी का पुन: प्रयोग और वर्षाजल संचयन के साथ जलापूर्ति के वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन (आरआरआर) के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थानिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीण समुदाय अपने प्राकृतिक जल संसाधनों का प्रबंधन करने हेतु जल-संचयन ढाँचों का निर्माण कर सकते हैं और जल-संरक्षण की अपनी प्राचीन परंपराओं को अपनाने के लिए संगठित होकर अपनी दीर्घकालिक जल प्रबंधन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। राष्ट्र के समक्ष आ रही जल संकट की गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने सबसे निचले-स्तर के लोगों के अनुभव का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में ग्रामीण समुदायों को संगठित करने और उन्हें अपनी पारंपरिक जानकारी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने से काफी सहायता मिल सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान- अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

3. भारतीय संघवाद : केन्द्र-राज्य संबंधों में बढ़ता टकराव

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने एवं कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट माँगी है। साथ ही केंद्र ने बंगाल सरकार से राजनीतिक हिंसा और उसके दोषियों पर हुई कार्रवाई का विवरण भी देने को कहा है।

परिचय

भारत में स्वतंत्रता के उपरांत से ही केंद्र-राज्य संबंध का मसला अत्यधिक संवेदनशील रहा है। विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो या पुनर्गठन का, विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो या फिर राज्यों में आंतरिक हिंसा का। ये सब केंद्र-राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं। भारतीय संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है न कि संघवादी राज्य। भारतीय संविधान ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बँटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया है।

केन्द्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग-11 अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। संविधान में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है कि कार्यपालिका विधायिका की सहविस्तारी होगी, अर्थात् जिस विषय पर संसद कानून बना सकता है, उस विषय पर केन्द्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण होगा और जिस विषय पर राज्य का विधानमण्डल कानून बना सकता है उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होगा। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, किन्तु संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गयी विधियों में विरोध (Conflict) होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गयी विधि, विरोध की मात्रा तक शून्य होगी (अनुच्छेद 254)।

बंगाल की वर्तमान स्थिति

- गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के मुताबिक बीते वर्षों के दौरान राज्य में हिंसा की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में जहां बंगाल में 509 हिंसा की घटनाएँ हुईं थीं, वहीं 2018 में यह आँकड़ा 1035 तक जा पहुँचा, जबकि इस वर्ष अभी इन छह महीनों में ही 773 हिंसा की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं।
- इन आँकड़ों से इतर हाल के कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की क्या स्थिति है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बंगाल में कई केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार की गरीबों को पाँच लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान योजना वहाँ लागू नहीं की गई है। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत खर्च केंद्र को और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य, राज्य सूची का मामला है, लिहाजा इसमें राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र बहुत कुछ नहीं कर सकता है।
- इसी तरह का गतिरोधी रुख 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' को लेकर भी है जिसका पूरा खर्च केंद्र वहन कर रहा है। किसान सम्मान निधि योजना में राज्यों की भूमिका बस इतनी है कि उन्हें अपने यहाँ से इस राशि की पात्रता रखने वाले किसानों की सूची भेजे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बार-बार कहे जाने के बावजूद अब तक पश्चिम बंगाल से सूची नहीं भेजी गई है, जिस कारण वहाँ के किसान इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर तमाम प्रावधान करते हुए यही अपेक्षा की गई है कि केन्द्र-राज्य परस्पर समन्वय और समझ के साथ राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करेंगे, मगर अभी केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जो संबंध दिख रहे हैं, वे इस संवैधानिक अपेक्षा के बिल्कुल ही विपरीत हैं। उपर्युक्त संदर्भ में केन्द्र राज्य संबंधों के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है।

केंद्र व राज्यों के बीच तनाव के कारण

यहाँ हम केन्द्र-राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में उन कारणों का जिक्र कर सकते हैं जो सामान्यत: दोनों के बीच तनाव के लिए जिम्मेदार होते रहे हैं।

- सबसे अधिक विवाद राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका को लेकर रहता है। आमतौर पर राज्यपालों की नियुक्ति तथा पदविमुक्ति में केन्द्र सरकार मनमाने तरीके से निर्णय लेती हैं। इसमें मुख्यमंत्रियों की सलाह या सहमति को महत्त्व नहीं दिया जाता है। राज्यपाल भी केन्द्र सरकार के एजेन्ट की तरह राज्य सरकारों से बर्ताव करते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 2018 में हुए विधान सभा चुनाव परिणाम के बाद राज्यपाल की भूमिका विवादित रही है।
- दूसरा कारण राज्यों द्वारा शासन संविधान के उपबंधों के तहत नहीं चलाया जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद से ही इस प्रावधान का दुरुपयोग हुआ था। अभी तक उत्तर प्रदेश तथा केरल में 9-9 बार, पंजाब में 8 बार और बिहार में 7 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। राज्यों की माँग है कि इस अनुच्छेद को संविधान से हटाया जाए या इसमें व्यापक संशोधन किये जाएँ।
- नौकरशाही भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है जिस पर केन्द्र व राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देता है।
- उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय सेवाएँ राज्यों की स्वायत्तता को कम करती हैं क्योंकि कई बार इनके अधिकारी केन्द्र के एजेन्ट की भाँति व्यवहार करने लगते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का वेतन उच्च स्तर का होता है जो राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और बर्खास्तगी का अधिकार केन्द्र का होता है। इसलिए इन अधिकारियों में राज्यों के प्रति अपनत्व की भावना नहीं होती है।
- केन्द्र को यह अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि के संदर्भ में केन्द्र राज्य में अर्द्ध सैनिक बलों की नियुक्ति कर सकता है। यह स्थिति और अधिक विवादास्पद तब हो जाती है जब केन्द्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें काम करती हैं और राज्य सरकार की नीतियाँ केन्द्र से मेल नहीं खाती हैं।
- आज केन्द्र-राज्यों के संबंध में खटास की एक मुख्य वजह आर्थिक नियोजन है। हालाँकि नीति आयोग द्वारा इस तनाव को कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद तनाव बरकरार है। उल्लेखनीय है कि संथानम कमेटी के अनुसार जो पद्धति अपनायी गयी है वह केन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देती है। ज्ञातव्य है कि एक लम्बे समय तक योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया।
- नियोजन का संबंध शासन के सभी विषयों से है इसलिए केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर भी योजना बनाने वाला बन गया। भारतीय इतिहास में यह स्थिति जटिल रूप से तब प्रकट हुई जब चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने औपचारिक रूप से अस्वीकृत कर दिया और पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषदों ने अपने राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया।
- संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता है। कई बार देखने में आया है कि राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है जबकि उनके दायित्व लगातार बढ़ रहे हैं।
- जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें होती हैं उनके साथ वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है। ऐसा आरोप राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर लगाती आयी हैं।
- हाल ही में केन्द्र-राज्य के संबंधों में तनाव का कारण राज्यों के बढ़ते दायित्व और सीमित श्रेय रहा है। उदाहरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का विरोध किया दरअसल उनका आरोप है कि केन्द्रीय योजनाओं में औसतन 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को व्यय करना पड़ता है लेकिन श्रेय केन्द्र सरकार को चला जाता है।

केन्द्र-राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध

भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबन्धों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है-

- संवैधानिक प्रावधान
- संविधानेत्तर प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान

राज्य सरकार को सामान्यत: अपने प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त रहती है फिर भी केन्द्र सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित व निर्देशित करती है, जैसे-

- अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकार का दायित्व है कि वह संसद द्वारा पारित विधि को मान्यता दे।
- अनुच्छेद 257 (1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह केन्द्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, हालांकि केन्द्र को इस प्रयोजन हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।
- इसी प्रकार अनुच्छेद 258क के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।
- अनुच्छेद 352 के अनुसार जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब केन्द्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस तरह (Manner) से करेगा।
- अनुच्छेद 355 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए की राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलायी जाए, केन्द्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है।
- अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य के सभी या किन्हीं कार्यपालिकीय शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है।

संविधानेत्तर प्रावधान

केन्द्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले अन्य कई कारक ऐसे भी होते हैं जो संविधान में वर्णित नहीं होते हैं लेकिन विभिन्न निकायों या सम्मेलनों आदि के रूप में विद्यमान होते हैं। उदाहरण के तौर पर

ऐसे सलाहकारी निकाय हैं जो केन्द्र तथा राज्यों के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे निकायों में अध्यक्षता केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करता है जबकि राज्यों की भूमिका सदस्यों के रूप में होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा क्षेत्रीय परिषद् आदि।

परस्पर समन्वय स्थापित करने वाले उपबंध

केन्द्र-राज्य दोनों मिलकर संघवाद को साकार कर सकें, इसको लेकर संविधान में कई उपबंध किए गए हैं जो इस प्रकार हैं-

- अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में संघ की सार्वजनिक अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही को पूर्ण मान्यता दी जाएगी।
- अनुच्छेद 262 के तहत संसद विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों या जलाशयों आदि के जल के प्रयोग वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है।
- अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए राज्यों के विवादों का परीक्षण के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद् 1990 में बनाई गई थी जो आज तक कार्यरत है।
- संघ क्षेत्रीय परिषद् का भी गठन कर सकती है। यह ऐसे विषयों पर कार्य करती हैं जिनमें सभी राज्य या कुछ राज्य रुचि प्रदर्शित करते हैं।
- कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनमें प्रशासनिक निर्णय का अधिकार संघ राज्य दोनों को होता है, किन्तु निर्धारण संघ ही करता है। जैसे निर्वाचन, लेखा परीक्षण, राज्यपालों की नियुक्तियाँ आदि।

केन्द्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले उपबंध

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही अपना पद संभालते हैं (अनुच्छेद 155)।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है किन्तु उसे पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है किन्तु उन्हें पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है।
- किसी राज्य का राज्यपाल अगर संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है तो आयोग उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है। दो या अधिक राज्यों के राज्यपालों के संयुक्त निवेदन पर वह संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएँ भी आयोजित कर सकता है।
- दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के निवेदन पर संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ऐसे आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव विकास एवं जनकल्याण को अवरुद्ध कर सकती है। ऐसे में केन्द्र-राज्य संबंधों में समन्वय आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है जो तनाव कम करने में कारगर साबित हो सकते हैं।

- भारत में संघ को मजबूत आधार देने के लिए आर्थिक उदारीकरण के साथ राजनीतिक शक्ति और व्यवस्था का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो गया है।
- भारत संघ को फेडरल संघ का रूप देने के लिए यह जरूरी है कि वह स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में काम करे।
- राज्यपालों की नियुक्ति के मानदंडों में परिवर्तन होने चाहिए। सरकारिया आयोग द्वारा सुझाये गए बिंदुओं को अमल में लाये जाने की आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 356 से संबंधित समस्याएँ अनुच्छेद 256, 257, 355, 356 और 365 के अनुचित क्रियान्वयन के कारण पैदा हुई हैं। इन सब अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। अनुच्छेद 355 के अधीन संघ सरकार, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू किए बिना राज्य के प्रति कुछ दायित्वों का निर्वहन कर सकती है।
- ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची को आदेशात्मक बना देना चाहिए। इन दोनों अनुसूचियों को मिलाकर एक सामान्य सूची का निर्माण करना चाहिए।
- परंपरागत संस्थाओं, स्वायत्तशासी जिला परिषदों तथा अधीन न्यायपालिका के परस्पर-व्याप्त अधिकार-क्षेत्र के कारण न्याय-प्रशासन में दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिसे सुलझाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

■

4. डॉक्टरों की हड़ताल : एक विकट समस्या

चर्चा का कारण

हाल ही में देशभर में डॉक्टरों द्वारा अपनी सुरक्षा माँगो को लेकर विभिन्न जगहों पर हड़ताल किया गया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से मारपीट के बाद शुरू हुई हड़ताल के बाद इसका प्रभाव बंगाल से लेकर दिल्ली व अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। देश के लगभग 19 से ज्यादा राज्यों के डॉक्टरों ने इस हड़ताल का समर्थन किया। सिर्फ दिल्ली में एम्स सहित 18 से अधिक बड़े अस्पतालों के लगभग 10 हजार डॉक्टरों ने हड़ताल का समर्थन किया व खुद हड़ताल पर रहे।

मामला क्या है

10 जून 2019 को कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत के बाद भीड़ द्वारा दो डॉक्टरों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एक डॉक्टर के सिर पर गंभीर चोट आई जबकि दूसरे को बुरी तरह पीटा गया। इसी मामले के विरोध में सहकर्मी डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसमें धीरे-धीरे पूरे देश के डॉक्टर जुड़ते चले गये और यह एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का रूप ले लिया।

उल्लेखनीय है कि डॉक्टरों और मरीजों या परिजनों के बीच झड़प का यह कोई पहला मामला नहीं है बल्कि इसके पहले भी इस तरह के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। वर्ष 2013 और 2014 के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार एम्स में कार्यस्थल पर हिंसा के 32 मामले दर्ज किए

गये थे। अधिकतर मामलों में पहले हमले का शिकार नर्से हुईं। एम्स में दो वर्ष के दौरान नर्सों पर हमले के 16 और डॉक्टरों पर हमले के 8 मामले दर्ज किये गये। कैजुअल्टी वार्ड में सबसे अधिक 38 प्रतिशत मामले सामने आये। वहीं ओपीडी में 31% तथा वार्डो में 22% हमले के मामले देखे गये। विदित हो कि लगभग 4 प्रतिशत मामलों में मौखिक चेतावनी देकर बात खत्म हो गई जबकि 3 प्रतिशत मामलों में इलाज बंद किया गया, जबकि केवल 2% मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई।

यही नहीं कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली तब लखनऊ में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया था। परिणामस्वरूप उनके समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अन्य डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। बाद में सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौता हुआ तब जाकर अस्पतालों में सेवाएँ बहाल हुईं।

हड़ताल का कारण

भारत में आये दिन डॉक्टरों और मरीजों के बीच झड़प की खबरें मिल रही हैं। परिणामस्वरूप डॉक्टर द्वारा हड़ताल की घटनाएँ भी बार-बार देखने को मिल रही हैं। हालाँकि इस तरह की घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है बल्कि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- वर्तमान में देश में करीब 470 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 230 सरकारी और 240 निजी हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों में से दो तिहाई दक्षिण भारत में हैं। भारत में न तो पर्याप्त अस्पताल हैं और न ही डॉक्टर व आधारभूत सुविधाएँ। देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य में लगता है, जो वैश्विक औसत (6 प्रतिशत) से बहुत कम है।
- डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार, एक हजार लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर का होना जरूरी है लेकिन भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ ऐसा नहीं है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार भारत में औसतन 11000 लोगों की आबादी के लिए एक एलोपैथिक सरकारी डॉक्टर मौजूद है।
- अस्पतालों की अपर्याप्त संख्या भी एक बड़ा कारण है। देश में कुल 23582 अस्पताल हैं जिनमें 7,10,761 बेड हैं। 1.3 अरब आबादी वाले देश के लिए यह काफी नहीं है। भारत में औसतन सरकारी अस्पताल का एक बेड 1908 लोगों के लिए है जबकि यह स्थिति बिहार में सबसे खराब है जहाँ 8,789 मरीजों के लिए एक बेड है।
- डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी का कुल 3.9 प्रतिशत यानी 5.1 करोड़ भारतीय अपने घरेलू बजट का एक चौथाई से ज्यादा खर्च इलाज पर ही कर देते हैं, जबकि श्रीलंका में ऐसी आबादी महज 0.1%, ब्रिटेन में 0.5% अमेरिका में 0.8% और चीन में 4.8% है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टर औसतन महज दो मिनट ही अपने मरीजों को देखते हैं। ब्रिटिश पत्रिका 'बीएमजे ओपन' में कहा गया है कि भारत में प्राथमिक चिकित्सा परामर्श का समय 2015 में दो मिनट था, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में 2016 में यह मजह 1.79 मिनट था।
- रिपोर्ट का एक अन्य पहलू जो चौंकाने वाला था वह यह कि भारत में एलोपैथिक डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले एक तिहाई लोगों के पास मेडिकल की डिग्री नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40 करोड़ आबादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऐसे ही डॉक्टरों पर निर्भर है।
- रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में अस्पतालों में करीब 1 लाख बेड जोड़े गये हैं लेकिन यह ज्यादातर निजी क्षेत्र के हैं और जरूरतों के हिसाब से नाकाफी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाला कुल खर्च का करीब 30 फीसदी हिस्से में ही सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है। विश्व स्तर पर देखें तो ब्राजील में यह 46 फीसदी, चीन में 56 फीसदी, अमेरिका में 48 फीसदी और ब्रिटेन में 83 फीसदी है।

इस तरह यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की आधारभूत सुविधाओं को देखें तो स्थिति बेहद दयनीय है। इस हालात में डॉक्टरों तथा मरीजों के बीच संघर्ष का होना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, क्योंकि जब सुविधाएँ उस स्तर पर नहीं मिलेंगी तो लोगों की भावनाएँ आहत होंगी जो अपने आप में एक चुनौती है। हालांकि इस मामले में डॉक्टरों के दृष्टिकोण से देखें तो उनको भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि कम सुविधाओं में रहकर बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना बहुत ही मुश्किल काम है। वह भी तब जब लोगों की अपेक्षाएँ अधिक हों।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय अपने कई फैसलों में कह चुका है कि मेडिकल कर्मचारी (डॉक्टर, नर्स, अन्य स्टाफ इत्यादि) मानव जीवन को बचाने के कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मई 1996 में बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चिकित्सा सहायता मुहैया कराने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के गारंटी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट का यहाँ तक कहना है कि प्राइवेट डॉक्टर भी किसी भी व्यक्ति के इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं।

बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल वाद में न्यायालय ने कहा था कि सरकार का पहला कर्त्तव्य लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। लोगों को पर्याप्त मेडिकल सुविधा मुहैया कराना राज्य की कल्याणकारी दायित्वों का अहम हिस्सा है।

सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के उस फैसले के मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 21 राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा के अधिकार के दायित्व को सुनिश्चित करता है। राज्य संचालित सरकारी अस्पताल और उसमें कार्यरत मेडिकल अधिकारी मानव जीवन के संरक्षण की खातिर चिकित्सा सहायता मुहैया कराने को लेकर बाध्य हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर सरकारी अस्पताल समय से इलाज मुहैया कराने में विफल रहता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

वर्ष 1948 का मानवाधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि हर एक को ऐसे मापदण्ड के साथ जीने का अधिकार है जो उसके तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त हो जिसमें चिकित्सा, संबंधी सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। 1989 में सर्वोच्च न्यायालय ने परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में व्यवस्था दी थी कि अगर कोई घायल शख्स इलाज के लिए अस्पताल लाया गया हो तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता दी जाए ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि कोई डॉक्टर इलाज से मना करता है तो उसके खिलाफ मेडिकल लापरवाही का केस बनाया जाय।

भारत के लॉ कमीशन ने भी 2006 में अपनी 201वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार घायलों के इलाज से मना करने वाले डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ क्रिमिनल केस के तहत सजा दे।

हड़ताल के विरोध में तर्क

वर्तमान में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे देखते हुए कुछ विशेषज्ञ हड़ताल का समर्थन तो कुछ विरोध कर रहे हैं। हड़ताल के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं-

- विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा हड़ताल करने से कई बेगुनाहों की मौत हो जाती है। इसलिए किसी और की गलती की सजा निर्दोष लोगों को क्यों दी जाए।
- छिट-फुट घटनाओं के कारण कई बार डॉक्टर हड़ताल करने लगते हैं जो सही नहीं है।
- भारत में पहले से ही डॉक्टरों की बड़ी कमी है। ऐसे में डॉक्टर हड़ताल पर जाने लगे तो मरीजों का देखभाल कौन करेगा।
- यदि उन्हें अपनी कोई बात बतानी है या अपनी माँग रखनी है तो वे इसके लिए कोई और तरीका अपना सकते हैं जैसे हाथ पर काली पट्टी बांध कर काम करना आदि।
- गौरतलब है कि लोगों के लिए डॉक्टर भगवान के समान होते हैं और वे विश्वास के साथ उनके पास आते हैं अतः उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए।
- सरकार ढंग से काम नहीं करती यह कहकर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों से मुँह फेर लेता है। यदि डॉक्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या यदि डॉक्टर्स समय पर अस्पताल नही पहुँच रहे हैं तो इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए न कि उनके विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन।
- डॉक्टर किसी अप्रिय घटना को लेकर एक दिन, दो दिन या तीन दिन की हड़ताल पर चले जायें तब कितने मरीजों की जान जा सकती है। इसका ध्यान डॉक्टरों को रखना चाहिए क्योंकि मरीजों का जीवन उन्हीं के भरोसे है।
- डॉक्टरों का पेशा इंसान की जान से जुड़ा होने के कारण ही इसे नोबल प्रोफेशन की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर के मन में संवेदनाओं का होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। हर जान कीमती होती है अतः डॉक्टर का काम लोगों को जीवन देना है न कि हड़ताल के माध्यम से जीवन लेना।
- अगर डॉक्टरों की माँगें जायज भी हैं तो भी उन परिवारों का दर्द महसूस करना होगा जिन्होंने अपना प्रियजन इस हड़ताल की वजह से खोया है क्योंकि ये हड़ताल उनकी जिंदगी में कभी न भरने वाला घाव पैदा कर गई होगी।
- डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान बीमार हुए व्यक्ति अगर बच भी गए तो उनको व उनके परिवारजनों को भयंकर अफरातफरी, अनिश्चितता और भय के मंजर को झेलना पड़ता है जो किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है।
- कई बार डॉक्टर अपने सामने मरीजों की जान जाते हुए देखता है फिर भी उसका उपचार नहीं करता। ये उसके द्वारा डिग्री लेते समय ली गयी शपथ के भी खिलाफ है। अधिकतर हॉस्पिटल में ये स्लोगन लगा रहता है, ईश्वर ने हमें आपकी सेवा का माध्यम बनाया है। अगर ये मात्र वाक्य है तो कोई बात नहीं। परन्तु अगर डॉक्टर वास्तव में ऐसा मानते हैं तो यह उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपचारक शक्ति का उपहास ही है।
- वैसे सरकार को डॉक्टर की हर माँग का ध्यान रखना चाहिए। अगर फिर भी कोई समस्या है तो डॉक्टर अपने वर्किंग समय को कुछ कम कर 2-3 घंटे के लिए किसी सरकारी दफ्तर जैसे जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं पर डॉक्टर को हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
- ये सही है कि कुछ मरीज डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार कर कानून तोड़ते हैं और ऐसे मरीजों को ऐसी हरकत से रोकना ना सिर्फ सरकार और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बल्कि आम नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। पर यहाँ पर ये बात भी समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाएँ कई बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से होती हैं। इसलिए अपने एक गलत साथी के अंध समर्थन में आने की जगह मुद्दे को समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए।

हड़ताल के पक्ष में तर्क

- यह सही है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है लेकिन उनके जीवन पर कोई आंच आए तब यह देखने वाला कौन होगा। मारपीट, तोड़फोड़ यह सब क्यों? डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं इसके लिए कहीं न कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं।
- डॉक्टरों को भी संविधान ने उतना ही हक दिया है जितना आम नागरिक को ऐसे में वे शांतिपूर्ण हड़ताल के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर अपनी माँगों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अगर डॉक्टर को प्रत्येक हॉस्पिटल में सुरक्षा नहीं दी जा सकती है तो सरकार को चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाये जिससे डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके।
- डॉक्टरों को उनकी प्रतिकूल परिस्थिति में आंशिक हड़ताल (जिससे कि मरीजों का जीवन प्रभावित न हो) पर जाने की अनुमति होनी चाहिए। यह बात भी सत्य है कि डॉक्टर भी मनुष्य हैं। उनकी भी जिंदगी में परेशानियाँ होती हैं, वे भी अपने बच्चों और परिवार के लिए एक पिता और एक संरक्षक हैं। यदि वे स्वयं दुखी रहेंगे तो मरीजों का इलाज अच्छे से कैसे कर पाएंगे।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः डॉक्टर चाहकर भी यदि अपनी बातें ऊपर नहीं पहुँचा पा रहा है तो उसके पास अन्य कोई मार्ग नहीं बचता। वह विवश हो जाता है तभी इस तरह के कदम को उठाता है।
- सरकार को डॉक्टर की उपयोगिता के अनुसार उनकी परेशानियों और सुझावों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे वे इस कदम को उठाने के लिए विवश न हों।
- सभी प्राणियों के लिए अपनी जिंदगी प्यारी होती है, अपना परिवार प्यारा लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि डॉक्टर की जिन्दगी भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है तो उन्हें पूर्णतः हक होना चाहिए कि वे किसी भी तरह अपनी बात की ओर सरकार का ध्यान खींचने का प्रयत्न करें। यदि डॉक्टर विपरीत परिस्थितियों में भी रात दिन कार्य करते रहते हैं तो शायद सरकार को उनकी परेशानियों की गंभीरता का अहसास नहीं होता। अतः उन्हें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए।
- यह बात पूरी तरह से सच है कि इस कशमकश में मरीज की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, परन्तु डॉक्टर भी तो अपनी गंभीर समस्याओं के कारण ही इस मार्ग पर जाने को विवश हुआ है।
- सीनियर डॉक्टर कई बार छुट्टी पर रहते हैं इसलिए जूनियर डॉक्टर को ही उनका कार्य

करना पड़ता है। अत: उन पर कार्य का भार अधिक होता है। ऐसे में यदि मरीज या उनके परिजन उन्हें परेशान करते हैं तो वे अपनी बातों को रखने के लिए इस तरह का मार्ग अपना सकते हैं।

आगे की राह

- हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इससे दोनों पक्षों का नुकसान होता है। अत: डॉक्टर व मरीज दोनों अपनी जिम्मेवारियों को समझने तथा कानून को हाथ में लेने से बचें।
- हड़ताल चाहे किसी भी मुद्दे पर हो इसके लिए सरकार भी कम दोषी नहीं है। इसलिए सरकार को भी (चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार) चाहिए कि उसे इसके पीछे के कारणों पर ध्यान देना होगा और स्थायी समाधान खोजना होगा।
- सरकार को आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना होगा साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को बढ़ाना होगा।
- आज यह मुद्दा सिर्फ बहस तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर डॉक्टर का हड़ताल पर जाना गलत है तो उसी तरह अगर हमारे सामने डॉक्टर के साथ कुछ गलत हो तो उसके विरोध में जनता को डॉक्टर का समर्थन भी करना चाहिए और जिस स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है उस स्तर पर बदलाव भी लाना चाहिए।
- डॉक्टरों को भी यह समझना होगा कि उनका पेशा कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि जीवन बचाने का एक बेहतर अवसर है। अत: उन्हें सहनशील बनना पड़ेगा तथा अपने को समाज सेवा के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है कि उन्हें छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़े लेकिन ये सब परेशानियाँ उनकी कर्त्तव्यों से बहुत छोटा है।
- डॉक्टरों को लेकर भारतीय समाज में जो विश्वास है उसे बनाये रखना होगा और यह सिर्फ उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से ही संभव है।
- सुरक्षा किसी भी व्यक्ति की प्राथमिक जरूरत है। इसलिए सरकार से लेकर आम नागरिक तक के डॉक्टरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा।
- समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब सभी नागरिक अपने कर्त्तव्यों को समझे और उस पर अमल करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) पर एक रिपोर्ट संसद को सौंप दी है। विदित हो कि स्थायी समिति ने FSSAI के महत्त्व और व्यापक कामकाज को देखते हुए इसके तमाम पहलुओं के पड़ताल का फैसला लिया था।

समिति द्वारा किये गए कार्य

- स्थायी समिति ने स्वस्थ और सुरक्षित भोजन से जुड़े करीब हर पहलू में FSSAI की भूमिका पर काफी गंभीरता से विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि समिति ने 2015-16 में भोजन से जुड़े विषय को एजेंडे के रूप में लिया था। लेकिन इसकी जाँच पूरी नहीं हो पायी थी। लिहाजा 2017 में इसकी व्यापक जाँच के लिए फिर से इस विषय को चुना गया।
- समिति ने इस विषय की पड़ताल में जहाँ बहुत से दस्तावेजों का अध्ययन किया। वहीं कैग (CAG) की रिपोर्ट और तमाम विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया।
- स्थायी समिति ने जमीनी हकीकत देखने के लिए देश के कई हिस्सों का दौरा करने के साथ ही खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और मेगा फूड पार्क का भी दौरा किया।

परिचय

स्वस्थ और सुरक्षित भोजन पर सबका अधिकार हो इस उद्देश्य के साथ सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में पारित किया। इसके पश्चात् सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों के लिए देश का सबसे बड़ा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2008 में गठित करने का फैसला किया। विज्ञान आधारित खाद्य मानकों के विकास का काम इसी संस्था के साथ आरंभ हुआ। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और पोषण पर केन्द्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह भी देता है।

एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य क्षेत्र को विनियमित करने वाला शीर्ष निकाय है। इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। जहाँ तक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना का सवाल है तो प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत के सचिव रैंक का अधिकारी होता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी सीइओ (CEO) होता है।

एफएसएसएआई (FSSAI) का मुख्य दायित्व

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार इस संगठन के पास भारी दायित्व होता है, जो इस प्रकार है-

- यह खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से लेकर आयात तक को नियंत्रित करता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला यह प्राधिकरण इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में तमाम विशेषज्ञों की सेवाएँ लेता है।
- हालाँकि प्राधिकरण खाद्य के लिए वैज्ञानिक मानक भी निर्धारित करती है।
- इसके अलावा खाद्य का परीक्षण, खाद्य सुरक्षा का अनुपालन करवाने का कार्य करती है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना इसका अन्य मुख्य दायित्व होता है।
- एफएसएसएआई (FSSAI) घरेलू खाद्य नियंत्रण के तहत लाइसेंस का पंजीकरण और खाद्य आयात नियंत्रण का भी काम देखता है।

रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

स्थायी समिति द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संबध में जो रिपोर्ट दी गयी है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- स्थायी समिति ने एफएसएसएआई (FSSAI) के ढाँचे की पड़ताल कर इस बात की पुष्टि की है कि एफएसएसएआई (FSSAI) मौजूदा समय में दक्ष कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इसके पुनर्गठन के सिफारिश के साथ समिति ने राय दी है कि इसे नौकरशाही के सहयोग के साथ खाद्य क्षेत्र की विशेषज्ञता वालों की मदद से चलाना चाहिए।
- समिति ने इस नाते सुझाव दिया है कि शीर्ष पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा किया जाए ताकि डोमेन विशेषज्ञता वाले सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को दायित्व दिया जा सके।
- एफएसएसएआई (FSSAI) की केन्द्रीय सलाहकार समिति, कई पहलुओं की पड़ताल की। केन्द्रीय समिति प्राधिकरण और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ खाद्य क्षेत्र से जुड़े संगठनों के बीच समन्वय का कार्य करती है जिसमें कृषि, पशुपालन और डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य उपभोक्ता मामलों के साथ कई सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। समिति की सिफारिश है कि इन प्रतिनिधियों का चयन का मानदंड पारदर्शी होना चाहिए।
- इसी तरह एफएसएसएआई (FSSAI) की वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल जिसमें 190 से अधिक विशेषज्ञ होते हैं उनके चयन को भी उचित दिशा-निर्देश की दरकार है।
- एफएसएसएआई (FSSAI) के कामकाज की पड़ताल करते हुए स्थायी समिति ने राय दी है कि हर राज्य में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित होनी चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा निगरानी मजबूत हो सके।
- समिति ने अपने आकलन में पाया है कि कई राज्यों में अलग से खाद्य सुरक्षा विभाग नहीं है। हालाँकि गोवा, गुजरात और झारखण्ड में पूर्णकालिक सुरक्षा आयुक्त हैं, लेकिन कई राज्यों में एक ही अधिकारी के पास दोहरा प्रभार है जबकि अधिकतर राज्यों में यह काम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास है।
- समिति ने इस संदर्भ में हर राज्य में खाद्य सुरक्षा विभाग बनाने की सिफारिश के साथ-साथ केन्द्र सरकार को इन राज्यों से उच्च स्तरीय संवाद करने को कहा है।
- एफएसएसएआई (FSSAI) के पास खाद्य सुरक्षा वाहन और चल परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो दुर्गम इलाके में काफी उपयोगी साबित हो रही है लेकिन अधिकतर राज्यों में खाद्य प्रयोगशालाओं में जनशक्ति की कमी और उपकरणों का अभाव है। समिति की एक अन्य सिफारिश के तहत इस बात पर बल दिया गया है कि विश्लेषण के लिए भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री की 14 दिन की समय सीमा में पड़ताल की जानी चाहिए।
- स्थायी समिति ने एफएसएसएआई (FSSAI) को सरकार की ओर से आवंटित बजट के मुद्दे की भी पड़ताल की।
- समिति की राय में स्टॉफ और संसाधन दोनों मामलों में कमजोरियाँ रही हैं जिस कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी है।
- उपर्युक्त संदर्भ में समिति का आकलन है की अमेरिका, कनाडा, यूके और आयरलैंड देशों की तुलना में हमें भी खाद्य सुरक्षा में भारी निवेश की दरकरार है। चूँकि एफएसएसएआई (FSSAI) का सालाना बजट बहुत कम होता है।
- समिति की यह राय भी है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार सृजन, कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन यह तभी हो सकेगा जब खाद्य सुरक्षा तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया जाए।
- खाद्य सुरक्षा की निगरानी और प्रवर्तन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर होता है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण उनकी स्थिति ठीक नहीं हैं। समिति की राय है कि केन्द्रीय सहायता के बिना यह आधारभूत ढाँचे का विकास नहीं कर पायेंगे।
- समिति ने परिवार कल्याण मंत्रालय से सिफारिश की है कि राज्यों में प्रयोगशालाओं में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना तैयार किया जाए।
- समिति ने एफएसएसएआई (FSSAI) पर CAG की 2017 की रिपोर्ट पर भी गौर किया। उल्लेखनीय है कि इसमें लाइसेंसिंग, पंजीकरण, नमूना लेना, खाद्य विश्लेषण और अभियोजन मानव संसाधन आदि पर ध्यान दिया गया है। समिति ने इसके मद्देनजर माना है कि खाद्य संरक्षण और विनियमन के क्षेत्र में तमाम चुनौतियों से निजात पाने के लिए FSSAI को दुरुस्त करने की जरूरत है।
- समिति की एक अन्य सिफारिश है कि प्राधिकरण नियमों व विनियमों की नियमित समीक्षा करें और जरूरी मुद्दों पर संशोधन का सुझाव दें।

चुनौतियाँ

समिति के अनुसार एफएसएसएआई (FSSAI) के समक्ष कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं, जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

- समिति के मुताबिक खाद्य में मिलावट काफी मात्रा में बढ़ी है। दूध और खाद्य जो पहले सुरक्षित थे अब मिश्रण के कारण असुरक्षित हो रहे हैं। वहीं फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए खतरनाक रसायनों के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। नतीजतन दस्त से लेकर कैंसर तक करीब 200 से अधिक बीमारियाँ संदूषित भोजन के द्वारा फैल रही हैं। साथ ही खाद्य विषाक्तता की घटनाएँ भी बढी हैं।
- विश्व बैंक और नीदरलैंड सरकार की मदद से हुए अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि खाद्य जनित बीमारियों से भारत को हर साल करीब 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है, जो देश की जीडीपी का 0.5 फीसदी होता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक यह तस्वीर भयावह होगी।
- देश में असंगठित क्षेत्र खाद्य क्षेत्र के समक्ष एक अन्य चुनौती पेश कर रही है। दरअसल देश में असंगठित क्षेत्र विशाल आकार वाला है, जो कमजोर तबकों को सस्ता भोजन मुहैया करवाता है। यह भोजन न सिर्फ घटिया गुणवत्ता का मिलावटी खाद्य पदार्थ का होता है बल्कि स्वच्छता की दृष्टि से भी संदूषित होता है। उदाहरण के तौर पर स्ट्रीट फूड स्वाद में तो अच्छा होता है लेकिन इसकी स्वच्छता को लेकर चुनौती बनी रहती है।
- भारत जैसे देश में जहाँ लगभग 130 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना हो वहाँ खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की सख्त निगरानी एक अन्य समस्या है।
- समिति के आकलन के अनुसार भारत में अभी भी लोगों में सेहतमंद भोजन के बारे में जागरूकता का अभाव है।

- खाद्य व्यापार पर व्यापक डाटाबेस की कमी का होना।
- खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों का बेहद उपयोग किया जाना।
- लाइसेंसों की निगरानी और रद्दीकरण में अनियमितताओं का होना।
- राज्यों में एफएसएसएआई (FSSAI) का कमजोर ढाँचा का होना।
- कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी। राज्यों में 4,850 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तुलना में 3,130 अधिकारी तैनात हैं, अधिकतर राज्यों में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के पास अतिरिक्त प्रभार है नतीजतन वह बहुत कम समय दे पा रहे हैं।
- जीएम और जैविक खाद्य पदार्थों के लिए रेगुलेशन का अभाव होना।
- कमजोर शिकायत निवारण तंत्र की उपस्थिति व बजट की समस्या का होना।

सरकारी प्रयास

भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित करने संबंधी कानूनों की शुरूआत 1899 से हुई है। उल्लेखनीय है कि 1954 से पहले भारत में राज्यों के खाद्य संबंधी अपने निजी कानून थे लेकिन यह कानून शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों को लोगों तक मुहैया कराने में विफल रहे। नतीजतन सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए कई कानूनों का प्रावधान किया जिसका जिक्र निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है-

खाद्य मिलावट (अपमिश्रण) रोकथाम (पीएफए) अधिनियम, 1954 : 1943 में केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसने केंद्रीय विधान की सिफारिश की जिसके फलस्वरूप 1954 में 'खाद्य मिलावट (अपमिश्रण) रोकथाम अधिनियम (पीएफए अधिनियम)' संसद द्वारा बनाया गया, जो 1 जून 1955 से लागू किया गया है।

फल उत्पाद आदेश, 1955 : फल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1946 में जारी किया गया।

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 : इसका उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से और इनसे संबद्ध मुद्दों के लिए भारत के निर्यात व्यापार का ठोस विकास सुनिश्चित करना था।

एक माप (मानक) अधिनियम, 1976 : यह अधिनियम माप संबंधी मानकों को स्थापित करने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य तौलने, माप में अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य को या ऐसी अन्य वस्तुओं को विनियमित करना है जिनकी बिक्री या वितरण, माप या संख्या के आधार पर होता है और जिन पदार्थों का ऐसी बातों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध है। यह अधिनियम पूरे भारत में व्याप्त है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986: भारतीय मानक ब्यूरो का गठन संसद के अधिनियम अर्थात बीआईएस अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ। यह खाद्य उत्पादों समेत विविध उपभोक्ता वस्तुओं के मानकीकरण से संबंधित है।

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 : यह आदेश अनिवार्य वस्तु-अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्रालय, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन विभाग, भारत सरकार द्वारा इस आदेश को लागू किया जा रहा है। इस आदेश के अंतर्गत पंजीकरण और इसके नवीकरण की शर्तों को निर्धारित किया गया है।

वनस्पति तेल उत्पाद (विनियम) आदेश, 1998 : यह आदेश 1998 में जारी किया गया था, जो वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के स्थान पर लाया गया था।

खाद्य तेल पैकेजिंग (विकास एवं विनियम) आदेश, 1998 : उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने भारत में ड्राप्सी मामले के दौरान 1998 में यह आदेश जारी किया था। विदित हो कि 1998 में सरसों के कुछ तेलों में आर्जेमोन (Argemone) तेल की मिलावट पाई गई। ऐसे में खाद्य वनस्पति तेलों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उपर्युक्त आदेश जारी किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013

सरकार ने आम लोगों को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिये सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लोगों को हर माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार दिया गया।

इस अधिनियम में दुर्गम स्थलों और दूरदराज के क्षेत्रों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार को दूरदराज, दुर्गम स्थलों, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को इस कानून के तहत सुविधाएँ मुहैया कराने पर विशेष जोर देना चाहिए।

सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हाल ही में एक कार्यक्रम के तहत स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी आधारित और बैट्री से चलने वाली 'रमन 1.0' नामक उपकरण का शुभारंभ किया है। यह उपकरण खाद्य तेलों, वसा और घी में की गई मिलावट को एक मिनट से भी कम समय में पता लगाने में सक्षम है। अपने आप ही खाने में मिलावट की जाँच करने वाली इस किट में एक मैनुअल व एक उपकरण लगा है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में स्कूलों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के पश्चात् फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स नामक नवाचारी समाधान की भी शुरूआत की है।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पौष्टिक और सुरक्षित भोजन को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत मानते हुए सभी को उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत खाद्य सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने की सिफारिश की है। इस संदर्भ में 2013 में सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय खास हो जाता है जिसमें उसने जीवन के अधिकार में शुद्ध भोजन और पेय पदार्थों को शामिल माना था। इसके बावजूद अभी तक लोगों को स्वच्छ व सुरक्षित भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया। नतीजतन कई समस्याएँ पैदा हुई हैं। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों का जिक्र किया जा सकता है जो समस्या समाधान में कारगर साबित हो सकते हैं-

- एफएसएसएआई को मानकों को अपनाने या स्थापित करते समय खाद्य वस्तुओं की स्थानीय, सांस्कृतिक और भौगोलिक उत्पत्ति को ध्यान में रखना चाहिए।
- पौष्टिक और सुरक्षित भोजन आज दुनिया भर के सभी देशों की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। अत: इसकी सुनिश्चितता हेतु सामान्य पैरामीटर होना चाहिए।
- इसके लिए वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बनाते हुए भारतीय खाद्य मानकों को सुदृढ करना भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता के

उद्देश्य से की गई खाद्य पदार्थों की लेबलिंग उपभोक्ताओं के डर का कारण न बने।

- एफएसएसएआई के कामकाज पर समितियों द्वारा इस तरह के सर्वे निरन्तर किये जाने चाहिए चूँकि इससे यह तय हो सकेगा कि एफएसएसएआई आखिर क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रही है।
- एफएसएसएआई के इंस्पेक्टरों और लेबोरेटरियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए।
- सुरक्षित भोजन और स्वच्छ पानी मिल सके इसके लिए सख्त से सख्त कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए साथ ही इस पर अमल करने के लिए जवाबदेह और पारदर्शी तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- यदि बाजार में कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रहा हो तो उसे रोकने की जिम्मेदारी केवल पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ही नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रोडक्ट के निर्माता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए की बाजार में उसका नकली प्रोडक्ट नहीं बिके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

6. सर्कुलर इकोनॉमी : विकास का एक वैकल्पिक मॉडल

चर्चा का कारण

हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा है कि संसाधनों के यथासंभव अधिकतम उपयोग यानी पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) में अगले पाँच से सात वर्षों में 1.4 करोड़ नौकरियाँ सृजित होने तथा लाखों नये उद्यमियों तैयार करने की क्षमता है। अमिताभ कांत ने कहा कि पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए सतत विकास और संसाधनों का यथासंभव अधिकतम उपयोग करना समय की माँग है। उन्होंने पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में विकसित करने तथा जागरूकता फैलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

अमिताभ कांत ने कहा कि वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब तक पहुँच जायेगी, जिसमें से तीन अरब लोग मध्यम वर्ग के उपभोग स्तर तक पहुँच जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति 71 फीसदी अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी और इस प्रकार कुल खनिज और सामग्री की माँग वर्ष 2014 के 50 अरब टन से बढ़कर वर्ष 2050 में 130 अरब टन हो जायेगी।

सर्कुलर इकोनॉमी क्या है

यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिये डिजाइन किया जाता है और इस प्रकार लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः उत्पादन और कच्चे माल में पुनर्नवीनीकरण या ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें 3-R कम करना (Reduce) एवं पुनः उपयोग (Reuse) तथा पुनर्चक्रण (Recycle), नवीनीकरण, पुनर्प्राप्ति और सामग्रियों की मरम्मत शामिल है। इस प्रकार, सर्कुलर इकोनॉमी संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के संदर्भ में उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। जर्मनी और जापान ने इसे अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिये एक बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि चीन ने इस पर एक कानून भी बनाया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अधिकांश देश लीनियर अर्थव्यवस्था की जगह सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लीनियर अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कच्चे माल को पर्यावरण से लिया जाता है तथा नए उत्पाद तैयार किये जाते हैं और बचे कच्चे माल को उपयोग के बाद में नष्ट कर दिया जाता है।

सर्कुलर इकोनॉमी की आवश्यकता क्यों

भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतनी विशाल जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। परिणामस्वरूप परंपरागत संसाधन दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आने वाले समय में यदि इन संसाधनों को बचाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं किया गया तो इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए भारत का झुकाव सर्कुलर अर्थव्यवस्था की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है।

पर्यावरणीय समस्याएँ जिस तरह बढ़ रही हैं उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में मौसम चक्र अनियमित रहेगा। इन समस्याओं से निपटने का बेहतर उपाय पर्यावरण को स्वच्छ रखना है और इसके लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की काफी संभावना है। यहाँ पर अवशेष तो व्यापक मात्रा में उत्पन्न होते हैं लेकिन 15 से 20% से भी कम कचरे का ही पुनर्चक्रण हो पाता है। हालांकि अभी भी इसकी शुरूआत जो अत्यधिक अवशेष उत्सर्जन क्षेत्र हैं जैसे-कृषि, निर्माण, वाहन एवं तकनीकी क्षेत्र (जैसे-मोबाइल) आदि में किया जा सकता है।

पिछले कुछ दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान से औद्योगिक प्रधान की तरफ बढ़ रही है। औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत है और इसके लिए जीवाष्म ईंधनों, खनिज संसाधनों का दोहन बढ़ गया है। भारत में 1970 से 2010 के बीच कच्चे माल की निकासी में लगभग 420% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार भारत ने वर्ष 2010 में लगभग पाँच बिलियन टन कच्चे सामग्री का इस्तेमाल किया है जिसमें लगभग 42% नवीकरणीय बायोमास और 30% गैस धातु खनिज हैं।

भारत की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2030 तक लगभग 15 बिलियन टन से अधिक कच्चे माल की जरूरत होगी। भारत यदि मध्यम गति से भी विकास करता है तो 2050 तक लगभग 25 बिलियन टन से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि भारत 2010 की तुलना में तीन गुना से अधिक कच्चे माल का उपयोग करेगा विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र के विकास में। इससे भूमि, जंगल, हवा और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा जो देश में पहले से ही अधिक दबाव में हैं। ऐसी स्थिति में सर्कुलर अर्थव्यवस्था का महत्त्व बढ़ जाता है।

ज्ञातव्य है कि भारत में तांबा, कोबाल्ट, निकेल, जैसी धातुएँ ही प्रचुर मात्रा में हैं जबकि अन्य दुर्लभ खनिजों का आयात करना पड़ता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भता बढ़ गई है। आने वाले समय में इसके कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे विकल्पों पर ध्यान देना होगा जो खनिजों को पुनर्नवीनीकरण कर सकें।

इस प्रकार सर्कुलर अर्थव्यवस्था को अपनाने से भारत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से एसडीजी के लक्ष्य 11 (जो मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए हैं) एवं लक्ष्य 12 (टिकाऊ खपत और खाद्यान्न उत्पादन के बेहतर पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए) के लिए। इसके अलावा इससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

भारत एक तेज गति से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है इसलिए भारत को कचरा निस्तारण एवं पुनर्प्रबंधन में विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि देश अपने अपशिष्ट का बेहतर इस्तेमाल कर सकें।

लाभ

सर्कुलर इकोनॉमी जिसकी माँग आज पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, से कई लाभ हैं, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- आज विश्व के कई बड़े शहर कचरे के ढ़ेर पर बसे हैं। इसके अलावा दिन प्रतिदिन लाखों टन कचरे का उत्पादन हो रहा है। इस इकोनॉमी के जरिये इन कचरों को कच्चे माल में परिवर्तित कर कचरे के निपटान की समस्या से निजात पाया जा सकता है।
- इस अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादित वस्तुएँ उपभोक्ताओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि इससे उत्पादन की कीमतें कम हो जाती हैं जिससे विक्रय मूल्य भी कम हो जाता है। इसके अलावा उनको अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है।
- सर्कुलर इकोनॉमी से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है।
- इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से उत्पादों के रख-रखाव की लागत में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।
- सर्कुलर इकोनॉमी किसानों को खेती के नये तरीके सिखाती है। इनमें परंपरागत खेती से लेकर, कॉमर्शियल खेती के माध्यम से किसानों को आमदनी होती है। इस इकोनॉमी का सबसे बेहतर उदाहरण फलों तथा इनसे बने उत्पाद हैं। फलों का जूस इसका अच्छा उदाहरण है जो इस इकोनॉमी के तहत तैयार किया जा रहा है।
- सर्कुलर इकोनॉमी उद्योगों, विशेष रूप से विनिर्माण उद्योगों द्वारा आवश्यक कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करती है।
- सर्कुलर इकोनॉमी का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे संसाधनों के कुशल उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- फिक्की-एक्सेंचर अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, भारत सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल के उपयोग के माध्यम से 2030 तक आधे ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक मूल्य श्रृंखला के लाभों को उठा सकता है। यही नहीं इसके तहत ई-कचरे से सोने का निष्कर्षण कर लगभग एक बिलियन डॉलर तक का मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

सर्कुलर अर्थव्यवस्था के कई फायदे तो हैं लेकिन इसको अपनाने में कई चुनौतियाँ भी हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- सर्कुलर अर्थव्यवस्था में कचरे का बेहतर निपटान किया जाता है लेकिन इन कचरों को पुनर्निर्माण योग्य बनाने के लिए नये आधारभूत संरचना का निर्माण करना पड़ता है जो कि पुनः वेस्ट या कचरे को जन्म देता है, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने में जो सामग्री प्रयोग होगी तथा उससे जो कचरा बचेगा उसको रिसाइकल करने में फिर से जो सामग्री लगेगी उससे भी कचरा उत्पन्न होगा।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था की जो प्रक्रिया है वह काफी जटिल है तथा कई कंपनियाँ इसके लिए तैयार भी नहीं हैं। वे निर्माण के बाद उत्पन्न कचरे का रिसाइकल करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे उनका बचत प्रभावित होता है। उनके अनुसार एक बड़ा कारण यह भी है कि कचरे निस्तारण की नीतियाँ, राष्ट्रीय पर्यावरणीय औद्योगिक नियम, कर का नियमन और सब्सिडी का नियम अत्यधिक जटिल है।
- सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती यह भी है कि इसके लिए विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी जो यह बता सकें कि इस्तेमाल के बाद जो अवशेष बचता है वह लागत लाभ को कितना प्रभावित करता है अर्थात इस अवशेष का निस्तारण किस हद तक किया जाये।
- ज्ञातव्य है कि त्वरित और डिस्पोजल संस्करण की तुलना में टिकाऊ एवं लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद का निर्माण करना अधिक महँगा है। चूँकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जनता से ही कर वसूला जाता है ऐसे में पुनः निस्तारण के लिए जनता से ही पैसा वसूला जाएगा। अर्थात कंपनी उत्पाद पर भी रिसाइकल का मूल्य जोड़ लेगी जो दोहरे कर के रूप में होगा।
- यदि भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर निगरानी व्यवस्था उतना प्रभावशाली नहीं है जितना होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सभी मुद्दों का राजनीतिकरण हो जाता है। परिणामस्वरूप सर्कुलर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी राजनीति हो सकती है जो इसके प्रगति में बाधक होगी।
- इस अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भौगोलिक स्थिति भी है क्योंकि कई भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग जैसे विकल्प अनुपयुक्त हो सकते हैं। कारण यह है कि वे क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील होते हैं और वहाँ पर रिसाइकिल में किये जाने वाले रसायनों का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। वहाँ की भूमि बंजर हो सकती है या फिर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ सकता है।
- भारत सरकार के अनुसार यदि पुराने वाहनों को एक निश्चित समय पर चलन से बाहर करने की प्रणाली पर काम किया जाए तो 2021 के अंत तक लगभग दो करोड़ बीस लाख वाहनों को बाजार से बाहर करना होगा। इसमें 80 फीसदी दोपहिया वाहन, 14 फीसदी कार और तीन फीसदी तिपहिया एवं व्यावसायिक वाहन होंगे। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की नीति से विकास के लिए बड़े पैमाने पर कारोबार बढ़ने, संपदा निर्माण और रोजगार सृजन की संभावना तो है लेकिन इससे बड़े पैमाने पर वेस्ट उत्पन्न होगा जिसके पुनर्चक्रण किए जाने की आवश्यकता होगी।
- कचरे का निस्तारण कर पुनःप्रयोग हेतु बनाने के लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होगी जिसके लिए अत्यधिक पैसे की भी

आवश्यकता होगी जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।

- कचरे या अवशेष के पुनर्निर्माण के समय उसके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है क्योंकि अवशेष में कई बार ऐसे रसायन या तत्व मिलते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

आगे की राह

भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे न सिर्फ देश में उपलब्ध संसाधनों को बचाना होगा बल्कि आयात किये गये संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य जरूरत बन गयी है। सरकारों को इसके लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा तथा इस क्षेत्र में फंडिंग को बढ़ाना होगा ताकि पैसे की कोई कमी न हो। चूँकि भारत में इस अर्थव्यवस्था की संभावना ज्यादा है इसलिए भारत को विकसित देशों की तर्ज पर इसे आगे बढ़ाना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए भारत को परंपरागत अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है।

सरकार को सर्कुलर अर्थव्यवस्था की सीमाओं को सहारा देना और इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। यह न केवल नौकरियाँ और संपत्ति बनाने में मदद करेगी बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेगी। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया युवा शिक्षार्थियों को सही मानसिकता से जोड़ेगी और उन्हें एक ऐसे आंदोलन के सक्रिय पात्र बनने में सक्षम करेगी जो भविष्य को सीमित संसाधनों के साथ सुरक्षित करेंगे। भारत को पुनर्नवीनीकरण व्यवस्था में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों का एक सेट तैयार करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

7. अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति में भारत की तैयारी : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत सरकार ने भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध की आशंका को देखते हुए अंतरिक्ष युद्ध से जुड़ी तकनीक एवं हथियार प्रणाली के निर्माण के लिए रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (डीएसआरए) के गठन को मंजूरी दी है। यह एजेन्सी अंतरिक्ष युद्ध से जुड़ी संवेदनशील हथियार प्रणाली एवं तकनीक विकसित करेगी।

इस एजेंसी में वैज्ञानिकों का एक दल शामिल होगा। ये सभी वैज्ञानिक सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। यह एजेंसी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) को अनुसंधान एवं विकास कार्यों में सहयोग करेगी।

क्या है अंतरिक्ष युद्ध

ऐसा माना जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। इसे देखते हुए दुनिया के कई देशों ने उपग्रहों का प्रक्षेपण तेज कर दिया है। सभी देश अंतरिक्ष में अपनी ताकत तेज करने में लगे हुए हैं। जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक स्पेस फोर्स बनाने का एलान कर अंतरिक्ष में हथियारों और सेनाओं की मौजूदगी को लेकर बहस छेड़ दी। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन को स्पेस-फोर्स बनाने का आदेश दिया। स्पेस-फोर्स के फैसले को वो देश की निजी सुरक्षा से जुड़ा मानते हैं।

ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि तनातनी की किसी स्थिति में दो देशों में जंग छिड़ने या विश्वयुद्ध जैसी स्थितियों के बीच पारंपरिक तौर-तरीकों वाले ही युद्ध हो सकते हैं। इनमें से ज्यादा खतरा एटमी हथियारों का दिखाया जाता है, पर इधर कुछ अरसे से जिस तरह से कुछ देश भविष्य के युद्धों का खाका खींच रहे हैं, उसे देखते हुए यह आशंका जल्दी ही सच साबित होती लग रही है कि आने वाले दिनों में कोई जंग धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी।

युद्ध यदि सीधे-सीधे अंतरिक्ष में नहीं हुआ तो भी ऐसा हो सकता है कि धरती पर होने वाले युद्ध अंतरिक्ष के जरिये संचालित हों। इस प्रसंग में अमेरिका की स्पेस फोर्स की चर्चा जोरों पर है, हालाँकि इस मामले में कोई पहल सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका के अलावा चार अन्य देशों के पास अंतरिक्षीय फौज जैसे प्रबंध हैं जिन्हें मिलिट्री स्पेस कमांड कहा जाता है। ये देश हैं- चीन (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स), फ्रांस (फ्रेंच ज्वाइंट स्पेस कमांड), रूस (रशियन एयरोस्पेस फोर्सेज एवं रशियन स्पेस फोर्सेज) और इंग्लैंड (रॉयल एयर फोर्स एवं आरएएफ एयर कमांड आदि)।

वैश्विक स्थिति

जहां तक अमेरिका का मामला है तो अमेरिकी सेना की फिलहाल पाँच शाखाएँ-वायुसेना, थल सेना, कोस्ट गार्ड, मरीन कॉर्प्स और नौसेना हैं, लेकिन घोषणा के मुताबिक 2020 तक यह स्पेस आर्मी बनी तो यह अमेरिकी सेना की छठी शाखा होगी। स्पेस आर्मी के गठन के बारे में दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन की ओर से पैदा हो रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य हुआ है। असल में अमेरिकी नेतृत्व को लगता है कि रूस और चीन जिस तरह से अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में उपग्रह छोड़ रहे हैं, उनसे अंतरिक्ष में तैनात अमेरिका के संचार, नेवीगेशन और खुफिया सूचनाएँ जुटा रहे उपग्रहों को खतरा हो सकता है। यही नहीं, कुछ वर्ष पूर्व जिस प्रकार से चीन ने बेकार हो चुके अपने एक सैटेलाइट को मिसाइल दागकर अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया था, उससे अमेरिका को महसूस हो रहा है कि किसी दिन तनातनी बढ़ने पर चीन उसके उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में तबाह कर सकता है। इसलिए वह अंतरिक्ष में होने वाली इस किस्म की जंग के लिए पहले से पूरी तैयारी रखना चाहता है।

भारत का अंतरिक्ष में सफर

विश्व के अधिकांश देशों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की, वे सैन्य सेवा से नागरिक सेवा की तरफ रहे। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप ने पहले सैन्य उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष क्षमताओं का विकास किया तथा बाद में उन तकनीकों का इस्तेमाल नागरिक सेवा के लिए किया।

दूसरी ओर भारत की अंतरिक्ष खोज, नागरिक उपयोग के लिए शुरू हुई जैसे कि मौसम पुर्वानुमान, दूरसंचार, रेडियो प्रसारण और रिमोट सेंसिंग आदि। भारत ने सैन्य क्षेत्र में तब कदम रखा जब 1980 के दशक में इसरो (ISRO) द्वारा SLV-3 तकनीक के जरिये अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का

परीक्षण किया। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हालाँकि जब सैन्य क्षेत्र से संबंधित उपग्रहों की बात आती है तो यह असैन्य क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम है। 1980 के दशक से ही इसरो की इनसैट शृंखला देश को अपनी सेवा प्रदान कर रही है। हालाँकि इसने केवल कार्टोसेट शृंखला को आगे बढ़ाया है जिसकी शुरूआत 2005 में हुई थी।

सैन्य संचार के लिए समर्पित पहला उपग्रह, GSAT-7 है, जिसे 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए GSAT-7A लॉन्च किया गया।

उल्लेखनीय है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरूआत 21 नवंबर 1963 को हुई थी जब भारत ने केरल में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र थुंबा से अमेरिकी निर्मित दो-चरण वाला साउंडिंग रॉकेट 'नाइक-अपाचे' का प्रक्षेपण किया था। यह अंतरिक्ष की ओर भारत का पहला कदम था। उस वक्त भारत के पास न तो इस प्रक्षेपण के लिए जरूरी सुविधाएँ थीं और न ही मूलभूत ढाँचा उपलब्ध था।

18 जुलाई, 1980 को भारत ने अपने पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। दूरसंचार उपग्रह इनसैट का विकास इसरो का अलग पड़ाव था। 22 दिसंबर, 2005 को डायरेक्ट टू होम यानी DTH केबल टीवी नेटवर्क के लिये इनसैट 4-A उपग्रह लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर, 2008 को चंद्रयान-1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के ऐतिहासिक चंद्र मिशन की शुरूआत हुई। इसे PSLV-CII के जरिये अंतरिक्ष में भेजा गया।

16 नवंबर, 2013 को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने एक नया अध्याय लिखा। इस दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 मार्स ऑर्बिटर (मंगलयान) का अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ। 24 सितंबर, 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत इस तरह के अभियान में पहली ही बार में सफल होने वाला पहला देश हो गया। इसके साथ ही वह सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इस तरह का मिशन भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इसके अतिरिक्त ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी है।

एशिया में भारत पहला देश है जिसने इस तरह का अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया है।

1 जुलाई, 2013 को इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली जब उसने भारत का नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1A प्रक्षेपित किया। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका की तर्ज पर अपना GPS सिस्टम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

उच्च-तकनीक वाले सबसे वजनी भू-स्थैतिक संचार उपग्रह, जी-सैट-19 को 05 जून 2017 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़े जाने के बाद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस उपग्रह को सबसे शक्तिशाली देशी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-III द्वारा छोड़ा गया।

जीएसएलवी मार्क-III 18 दिसंबर, 2014 को पहली प्रायोगिक उड़ान के साथ एक प्रोटोटाइप क्रू कैप्सूल ले गया था। उपकक्षीय मिशन ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि यह यान वायुमंडल में कैसे काम करता है। साथ ही कैप्सूल का परीक्षण भी किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए इस वर्ष यह तीसरी उपलब्धि थी। इसने खुद के किफायती लेकिन प्रभावी क्रायोजेनिक इंजन और अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर पर कक्षा में 4 हजार किलोग्राम तक के भारी भरकम भू-स्थैतिक उपग्रहों को विकसित करने की देश की इच्छा को पूरा किया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन में तेजी लाया है। 2016 में भारत ने दर्जनभर उपग्रहों, 3 नेवीगेशन उपग्रहों और जीसैट-18 संचार उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण किया है।

इसके अलावा इस साल मार्च में भारत ने एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण के साथ ही भारत ने स्पेस में किसी उपग्रह को मार गिराने की क्षमता हासिल की थी। इस परीक्षण से भारत ने अपने उन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की क्षमता हासिल कर ली है जो युद्ध के समय भारतीय उपग्रहों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डीएसआरए एजेंसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई देश हमारे उपग्रहों को निशाना बनाते हैं तो उससे संचार व्यवस्थाएँ खत्म हो सकती हैं।

अंतरिक्ष में सैन्य ताकत की महत्ता को देखते हुए भारत में A-SAT मिसाइल का विकास DRDO ने किया है। A-SAT मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल दो सॉलिड रॉकेट बूस्टरों सहित तीन चरणों वाली मिसाइल है।

एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का निशाना किसी भी देश के सामरिक उद्देश्यों के उपग्रहों को खत्म करना होता है। हालांकि, आज तक किसी भी युद्ध में ऐसे मिसाइल का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन कई देश अंतरिक्ष में इस तरह के मिसाइल सिस्टम का होना जरूरी मानते हैं।

डीएसए की आवश्यकता क्यों

भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि अंतरिक्ष का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों अर्थात नागरिक सेवा के कार्यों के लिए किया जाय न कि युद्ध या विध्वंस के लिए। लेकिन वैश्विक परिदृश्य जिस तरह से बदल रहा है उसे देखते हुए भारत भी अपने विचारों पर गौर कर रहा है। परंपरागत रूप से निगरानी और खुफिया जैसे निष्क्रिय सैन्य इस्तेमाल के लिए अंतरिक्ष उपयोग को स्वीकार माना जाता है लेकिन युद्ध की प्रकृति को देखते हुए कमान, नियंत्रण, संचार, कम्प्यूटर एवं खुफिया निगरानी के लिए अंतरिक्ष पर निर्भरता बढ़ रही है।

इन सभी चुनौतियों को देखते हुए भारत ने डीएसए (रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी) को बनाने पर बल दिया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो दशकों से शांत रहा है वहाँ भी अब प्रतिस्पर्द्धा की गंध आने लगी है वह भी तेज गति से। ऐसे में भारत पीछे कैसे रह सकता है। अभी तक भारत इस मामले में काफी पीछे है क्योंकि वह अंतरिक्ष युद्ध के बारे में कल्पना नहीं किया था। हालांकि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के द्वारा अंतरिक्ष में किये गये कार्यों ने भारत को अंतरिक्ष के सैन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया है।

रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए)

रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) में सेना के तीनों अंगों के सदस्य शामिल होते हैं। अंतरिक्ष युद्ध के लिए डीएसए का गठन किया गया था। भारत सरकार ने अंतरिक्ष एवं साइबर हमलों से निपटने हेतु हाल के वर्षों में विशेष तैयारी की है और उसने कई एजेंसियों का गठन किया है। स्पेशल ऑपरेशंस डिविजन देश के भीतर एवं बाहर दोनों तरफ खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य का युद्ध पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत को भी अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी संदर्भ में डीआरडीओ (DRDO) ने डीएसआरओ (DSRO) के गठन की इच्छा व्यक्त की। इसके माध्यम से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैन्य अनुसंधान करेगा ओर मिसाइलों को मार गिराने जैसी तकनीक का विकास करेगा।

यदि डीएसआरओ और डीएसए की स्थिति को देखें तो डीएसआरओ का उद्देश्य अंतरिक्ष सुरक्षा के संदर्भ में अनुसंधान और विकास करना

है, जबकि डीएसए अंतरिक्ष सुरक्षा की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले नीति और रणनीति के लिए जिम्मेदार होगा।

चुनौतियाँ

भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैन्य अनुसंधान पर कदम तो रख दिया है लेकिन उसके सामने कई चुनौतियाँ हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं-

- भारत को दो प्रकार की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करना होगा। एक तो असैन्य संपत्ति अर्थात नागरिक सेवा के लिए भेजे गये उपग्रह और दूसरा सैन्य क्षेत्र के उपग्रह आदि। चूंकि भविष्य में दुश्मनों की नजर इन सब पर होगी इसलिए इनकी सुरक्षा कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।
- अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान व उनके मलबे तथा खगोलीय पिण्डों के बारे में सटीक जानकारी की क्षमताएँ होनी चाहिए। इसके लिए भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में अभी कई कार्य करने बाकी हैं।
- भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है लेकिन इसमें अभी काफी समय लग सकता है।
- विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष हथियारों, साइबर हमलों आदि से अपनी सुरक्षा करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर विश्व में विश्वास बहाल किया है, इसी तरह उसे अंतरिक्ष क्षेत्र में भी विश्वास को बनाये रखना होगा क्योंकि विकसित देशों की भारत पर लगातार नजर होगी।
- सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती स्वस्थ अंतरिक्ष नीति की घोषणा करना भी है। चूंकि भारत का अंतरिक्ष सिद्धांत विकास को बढ़ावा देने और लोगों की भलाई तथा समृद्धि को बढ़ाना है। इस तरह इस सिद्धांत में अब सुरक्षा शब्द को भी जोड़ना पड़ेगा अर्थात् अंतरिक्ष की मौजूदगी से अंतरिक्ष शक्ति की तरफ बढ़ना होगा।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए विकसित देशों से बेहतर संबंध स्थापित करना भी महत्वपूर्ण चुनौती है।

आगे की राह

- जिस तरह से अंतरिक्ष को लेकर वैश्विक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे में भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में शक्ति बढ़ाना अतिआवश्यक हो गया है, क्योंकि शांति के लिए शक्ति और शक्ति के लिए शांति का होना अति आवश्यक है।
- भारत चूंकि विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है इसलिए उसे न सिर्फ भूमि, जल बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। खासकर चीन एवं पाकिस्तान को देखते हुए।
- डीएसओ एवं डीएसआरए जैसी परियोजनाओं पर भारत को अत्यधिक ध्यान देना होगा जिससे कि वह एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके।
- इसरों के वैज्ञानिकों ने सर्वथा सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है कि यदि उन्हें पर्याप्त सरकारी समर्थन मिले तो वे अंतरिक्ष क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अतः सरकार को अपने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा कर उन्हें सभी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।
- भारत सरकार को विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर एक स्वस्थ अंतरिक्ष नीति बनाने पर बल देना चाहिए। साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर जोर देना चाहिए जो अंतरिक्ष के दुरुपयोग पर संबंधित देशों पर कार्रवाई कर सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 : पर्यावरणीय क्रियाशीलता के लिए योग

प्र. भारत के संदर्भ में योग के महत्त्व को बताते हुए, सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- 21 जून, 2019 को पूरे विश्व में पाँचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस का विषय 'Yoga for climate change' रखा गया।

पृष्ठभूमि

- योग की महत्ता को विश्व में ख्याति दिलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का विचार सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।

योग दिवस मनाये जाने के कारण

- योग के द्वारा लोगों के बीच वैश्विक समन्वय स्थापित करना।
- लोगों को योग के फायदों के बारे में जागरूक करना और उनको प्रकृति से जोड़ना।

भारत के लिए योग का महत्त्व

- सॉफ्ट पावर के लिहाज से भी भारत के लिए योग का महत्त्व बढ़ जाता है। विदित हो कि सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके माध्यम से कोई देश परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। ज्ञातव्य है कि भारत हमेशा से ही सॉफ्ट पावर नीति का समर्थक रहा है। अगर भारत में योग को बढ़ावा दिया जाता है तो भारत योग गुरू की भूमिका निभा सकता है।

सरकारी प्रयास

- सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में अच्छी सेहत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूलों और कार्यस्थलों में योग अभ्यास को शामिल किया है।
- आयुष मंत्रालय ने योग प्रशिक्षकों के सर्टिफिकेशन और योग संस्थानों व कार्मिक प्रमाणीकरण ईकाई को मान्यता देने के लिए योग प्रमाणीकरण बोर्ड का गठन किया है।

चुनौतियाँ

- भारत में योग को लेकर व्यापक जन जागरूकता की कमी है।
- विभिन्न धर्मों (विशेषतः मुस्लिम) में योग को लेकर विभिन्न मत हैं। नतीजतन कुछ धर्म इसको हिन्दू धर्म से जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मुस्लमानों द्वारा 'सूर्य नमस्कार' व 'श्लोक' जप पर आपत्ति दर्ज करना।

आगे की राह

- योग प्रशिक्षण शिविर या सभाएँ आज देश के विशिष्ट शहरों तक ही सीमित हैं। योग का लाभ आम जनता तक पहुँचे इसके लिए योग शिविर को ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है।
- योग का संबंध स्वास्थ्य से होता है न कि धर्म से इसीलिए इसे विभिन्न धर्मों के लोगों को अपनाना चाहिए। इसके लिए उन्हें योग की महत्ता सही से समझाने की आवश्यकता है। ■

2. भारत में बढ़ता जल संकट एवं उसका समाधान

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत में पेयजल संकट अर्थव्यवस्था को काफी गंभीर क्षति प्रदान कर सकता है? इस संदर्भ में बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली कितनी कारगर साबित हो सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ-साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक में ही 2024 तक देश के हर घर तक 'नल से जल' पहुँचाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय कर दिया है।

परिचय

- सुरक्षित पेयजल जीवन के अधिकार का एक अंत रंग हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित पीने के पानी को एक मौलिक अधिकार और जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों में सुरक्षित और सस्ते पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना निर्धारित किया है, जिसे हासिल करने के लिए भारत भी प्रतिबद्ध है।

नीति आयोग की रिपोर्ट

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक देश में पानी की माँग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इनमें दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर शामिल हैं। जल संकट की वजह से देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी देखी जाएगी।

जल प्रबंधन प्रणाली कैसे सुनिश्चित हो

- वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कृत्रिम वर्षा जल संरक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों या संरचनाओं को शामिल किया जाता है जिसमें तालाब, चेकडैम, गेबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डैम, सोखता गड्ढा, अधोभूमि अवरोधक, रोक बांध, रिचार्ज शॉफ्ट, अस्थायी बांध, गली प्लग (नाली अवरोधक) आते हैं।

सरकारी प्रयास

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत सुरक्षित पानी हर समय और सभी स्थितियों में सुलभ होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 2022 तक 70 लीटर स्वच्छ जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उनके घरेलू परिसर के भीतर या 50 मीटर तक की दूरी तक प्रदान करना है।

चुनौतियाँ

- भू-जल पर लगातार बढ़ती निर्भरता और इसका निरंतर अत्यधिक दोहन भू-जल स्तर को कम कर रहा है और पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो एक जटिल चुनौती है।
- जल स्रोतों के सूखने, भू-जल तालिका में तेजी से कमी, सूखे की पुनरावृत्ति और विभिन्न राज्यों में बिगड़ते जल प्रबंधन विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।

आगे की राह

- निष्कर्षत: किसी भी देश की वृद्धि और विकास के लिए प्रभावी जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है, इसलिए जल-संचयन और भंडारण पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ■

भारतीय संघवाद : केन्द्र-राज्य संबंधों में बढ़ता टकराव

प्र. उन कारणों का वर्णन करें जिससे केन्द्र व राज्यों के बीच में तनाव पैदा होते हैं। साथ ही तनावों को कम करने के उपायों को सुझाइए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने एवं कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट माँगी है।

केंद्र व राज्यों के बीच तनाव के कारण

- सबसे अधिक विवाद राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका को लेकर रहता है। आमतौर पर राज्यपालों की नियुक्ति तथा पदविमुक्ति में केन्द्र सरकार मनमाने तरीके से निर्णय लेती हैं। इसमें मुख्यमंत्रियों की सलाह या सहमति को महत्त्व नहीं दिया जाता है। राज्यपाल भी केन्द्र सरकार के एजेन्ट की तरह राज्य सरकारों से बर्ताव करते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 2018 में हुए विधान सभा चुनाव परिणाम के बाद राज्यपाल की भूमिका विवादित रही है।

परस्पर समन्वय स्थापित करने वाले उपबंध

- अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में संघ की सार्वजनिक अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही को पूर्ण मान्यता दी जाएगी।
- अनुच्छेद 262 के तहत संसद विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों या जलाशयों आदि के जल के प्रयोग वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है।

आगे की राह

- भारत में संघ को मजबूत आधार देने के लिए आर्थिक उदारीकरण के साथ राजनीतिक शक्ति और व्यवस्था का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो गया है।
- भारत संघ को फेडरल संघ का रूप देने के लिए यह जरूरी है कि वह स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में काम करे। ■

डॉक्टरों की हड़ताल : एक विकट समस्या

प्र. डॉक्टरों की हड़ताल संबंधी समस्या वर्तमान में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। डॉक्टरों के हड़ताल के कारणों का उल्लेख करते हुए उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में देशभर में डॉक्टरों द्वारा अपनी सुरक्षा माँगो को लेकर विभिन्न जगहों पर हड़ताल किया गया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से मारपीट के बाद शुरू हुई हड़ताल के बाद इसका प्रभाव बंगाल से लेकर दिल्ली व अन्य राज्यों में भी देखने को मिला।

हड़ताल का कारण

- वर्तमान में देश में करीब 470 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 230 सरकारी और 240 निजी हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों में से दो तिहाई दक्षिण भारत में हैं। भारत में न तो पर्याप्त अस्पताल हैं और न ही डॉक्टर व आधारभूत सुविधाएँ। देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य में लगता है, जो वैश्विक औसत (6 प्रतिशत) से बहुत कम है।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- सर्वोच्च न्यायालय अपने कई फैसलों में कह चुका है कि मेडिकल कर्मचारी (डॉक्टर, नर्स, अन्य स्टाफ इत्यादि) मानव जीवन को बचाने के कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मई 1996 में बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चिकित्सा सहायता मुहैया कराने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के गारंटी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

हड़ताल के विरोध में तर्क

- विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा हड़ताल करने से कई बेगुनाहों की मौत हो जाती है। इसलिए किसी और की गलती की सजा निर्दोष लोगों को क्यों दी जाए।
- छिट-फुट घटनाओं के कारण कई बार डॉक्टर हड़ताल करने लगते हैं जो सही नहीं है।

हड़ताल के पक्ष में तर्क

- यह सही है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है लेकिन उनके जीवन पर कोई आंच आए तब यह देखने वाला कौन होगा। मारपीट, तोड़फोड़ यह सब क्यों? डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं इसके लिए कहीं न कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं।

आगे की राह

- हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इससे दोनों पक्षों का नुकसान होता है। अतः डॉक्टर व मरीज दोनों अपनी जिम्मेवारियों को समझने तथा कानून को हाथ में लेने से बचें। ■

भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक : एक अवलोकन

प्र. भारत में संदूषित भोजन एक आम समस्या है। इस संदर्भ में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्यों का अवलोकन करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) पर एक रिपोर्ट संसद को सौंप दी है।

रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

- स्थायी समिति ने एफएसएसएआई (FSSAI) के ढाँचे की पड़ताल कर इस बात की पुष्टि की है कि एफएसएसएआई (FSSAI) मौजूदा समय में दक्ष कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है।
- समिति ने इस नाते सुझाव दिया है कि शीर्ष पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा किया जाए ताकि डोमेन विशेषज्ञता वाले सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को दायित्व दिया जा सके।

चुनौतियाँ

- समिति के मुताबिक खाद्य में मिलावट काफी मात्रा में बढ़ी है। दूध और खाद्य जो पहले सुरक्षित थे अब मिश्रण के कारण असुरक्षित हो रहे हैं। वहीं फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए खतरनाक रसायनों के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है।
- विश्व बैंक और नीदरलैंड सरकार की मदद से हुए अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि खाद्य जनित बीमारियों से भारत को हर साल करीब 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है, जो देश की जीडीपी का 0.5 फीसदी होता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक यह तस्वीर भयावह होगी।
- समिति के आकलन के अनुसार भारत में अभी भी लोगों में सेहतमंद भोजन के बारे में जागरूकता का अभाव है।
- खाद्य व्यापार पर व्यापक डाटाबेस की कमी का होना।
- खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों का बेहद उपयोग किया जाना।
- लाइसेंसों की निगरानी और रद्दीकरण में अनियमितताओं का होना।

सरकारी प्रयास

- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986
- दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
- वनस्पति तेल उत्पाद (विनियम) आदेश, 1998
- खाद्य तेल पैकेजिंग (विकास एवं विनियम) आदेश, 1998

आगे की राह

- एफएसएसएआई को मानकों को अपनाने या स्थापित करते समय खाद्य वस्तुओं की स्थानीय, सांस्कृतिक और भौगोलिक उत्पत्ति को ध्यान में रखना चाहिए।
- पौष्टिक और सुरक्षित भोजन आज दुनिया भर के सभी देशों की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। अतः इसकी सुनिश्चितता हेतु सामान्य पैरामीटर होना चाहिए। ■

सर्कुलर इकोनॉमी : विकास का एक वैकल्पिक मॉडल

प्र. सर्कुलर इकोनॉमी का संक्षिप्त वर्णन करते हुए, इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा है कि संसाधनों के यथासंभव अधिकतम उपयोग यानी पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) में अगले पाँच से सात वर्षों में 1.4 करोड़ नौकरियाँ सृजित होने तथा लाखों नये उद्यमियों तैयार करने की क्षमता है।

सर्कुलर इकोनॉमी क्या है

- यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिये डिजाइन किया जाता है और इस प्रकार लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः उत्पादन और कच्चे माल में पुनर्नवीनीकरण या ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें 3-R कम करना (Reduce) एवं पुनः उपयोग (Reuse) तथा पुनर्चक्रण (Recycle), नवीनीकरण, पुनर्प्राप्ति और सामग्रियों की मरम्मत शामिल है। इस प्रकार, सर्कुलर इकोनॉमी संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के संदर्भ में उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

सर्कुलर इकोनॉमी की आवश्यकता क्यों

- भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतनी विशाल जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए

संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। परिणामस्वरूप परंपरागत संसाधन दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आने वाले समय में यदि इन संसाधनों को बचाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं किया गया तो इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए भारत का झुकाव सर्कुलर अर्थव्यवस्था की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है।

लाभ

- आज विश्व के कई बड़े शहर कचरे के ढ़ेर पर बसे हैं। इसके अलावा दिन प्रतिदिन लाखों टन कचरे का उत्पादन हो रहा है। इस इकोनॉमी के जरिये इन कचरों को कच्चे माल में परिवर्तित कर कचरे के निपटान की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- सर्कुलर अर्थव्यवस्था में कचरे का बेहतर निपटान किया जाता है लेकिन इन कचरों को पुनर्निर्माण योग्य बनाने के लिए नये आधारभूत संरचना का निर्माण करना पड़ता है जो कि पुनः वेस्ट या कचरे को जन्म देता है, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने में जो सामग्री प्रयोग होगी तथा उससे जो कचरा बचेगा उसको रिसाइकल करने में फिर से जो सामग्री लगेगी उससे भी कचरा उत्पन्न होगा।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था की जो प्रक्रिया है वह काफी जटिल है तथा कई कंपनियाँ इसके लिए तैयार भी नहीं हैं। वे निर्माण के बाद उत्पन्न कचरे का रिसाइकल करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे उनका बचत प्रभावित होता है। उनके अनुसार एक बड़ा कारण यह भी है कि कचरे निस्तारण की नीतियाँ, राष्ट्रीय पर्यावरणीय औद्योगिक नियम, कर का नियमन और सब्सिडी का नियम अत्यधिक जटिल है।

आगे की राह

- भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे न सिर्फ देश में उपलब्ध संसाधनों को बचाना होगा बल्कि आयात किये गये संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य जरूरत बन गयी है। सरकारों को इसके लिए आगे बढ़कर कार्य करना होगा तथा इस क्षेत्र में फंडिंग को बढ़ाना होगा ताकि पैसे की कोई कमी न हो। चूँकि भारत में इस अर्थव्यवस्था की संभावना ज्यादा है इसलिए भारत को विकसित देशों की तर्ज पर इसे आगे बढ़ाना होगा। ■

अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति में भारत की तैयारी : एक विश्लेषण

प्र. कहा जा रहा है कि भविष्य में युद्ध पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे। इस कथन के संदर्भ में अंतरिक्ष युद्ध को ध्यान में रखते हुए भारत की तैयारी का उल्लेख करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध की आशंका को देखते हुए अंतरिक्ष युद्ध से जुड़ी तकनीक एवं हथियार प्रणाली के निर्माण के लिए रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (डीएसआरए) के गठन को मंजूरी दी है। यह एजेन्सी अंतरिक्ष युद्ध से जुड़ी संवेदनशील हथियार प्रणाली एवं तकनीक विकसित करेगी।

भारत का अंतरिक्ष में सफर

- भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हालाँकि जब सैन्य क्षेत्र से संबंधित उपग्रहों की बात आती है तो यह असैन्य क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम है। 1980 के दशक से ही इसरो की इनसैट शृंखला देश को अपनी सेवा प्रदान कर रही है। हालाँकि इसने केवल कार्टोसेट शृंखला को आगे बढ़ाया है जिसकी शुरूआत 2005 में हुई थी।

डीएसए की आवश्यकता क्यों

- भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि अंतरिक्ष का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों अर्थात नागरिक सेवा के कार्यों के लिए किया जाय न कि युद्ध या विध्वंस के लिए। लेकिन वैश्विक परिदृश्य जिस तरह से बदल रहा है उसे देखते हुए भारत भी अपने विचारों पर गौर कर रहा है। परंपरागत रूप से निगरानी और खुफिया जैसे निष्क्रिय सैन्य इस्तेमाल के लिए अंतरिक्ष उपयोग को स्वीकार माना जाता है लेकिन युद्ध की प्रकृति को देखते हुए कमान, नियंत्रण, संचार, कम्प्यूटर एवं खुफिया निगरानी के लिए अंतरिक्ष पर निर्भरता बढ़ रही है।

चुनौतियाँ

- भारत को दो प्रकार की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करना होगा। एक तो असैन्य संपत्ति अर्थात नागरिक सेवा के लिए भेजे गये उपग्रह और दूसरा सैन्य क्षेत्र के उपग्रह आदि। चूंकि भविष्य में दुश्मनों की नजर इन सब पर होगी इसलिए इनकी सुरक्षा कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।
- अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान व उनके मलबे तथा खगोलीय पिण्डों के बारे में सटीक जानकारी की क्षमताएँ होनी चाहिए। इसके लिए भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में अभी कई कार्य करने बाकी हैं।

आगे की राह

- जिस तरह से अंतरिक्ष को लेकर वैश्विक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे में भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में शक्ति बढ़ाना अतिआवश्यक हो गया है, क्योंकि शांति के लिए शक्ति और शक्ति के लिए शांति का होना अति आवश्यक है।
- डीएसओ एवं डीएसआरए जैसी परियोजनाओं पर भारत को अत्यधिक ध्यान देना होगा जिससे कि वह एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

विमान अपहरण रोधी कानून

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में एनआईए की विशेष अदालत ने मुंबई के एक कारोबारी को विमान अपहरण की धमकी का दोषी पाए जाने के बाद न सिर्फ उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है बल्कि पाँच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विमान अपहरण रोधी कानून के तहत मिलने वाली देश में ये पहली सजा है।

1.2 एनआईए (NIA) ने पिछले साल जनवरी में मुंबई कारोबारी के खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3(1), 3(2)(ए) और 4(बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। उसे अक्टूबर 2017 में विमान की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था।

पृष्ठभूमि

2.1 1982 के विमान अपहरण अधिनियम की जगह नए अधिनियम के लिए तत्कालीन नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने 17 दिसंबर 2014 को राज्यसभा में विधेयक पेश किया था। 4 मई 2016 को राज्य सभा में और 9 मई 2016 को लोकसभा में विधेयक पारित हो गया था।

नो फ्लाई लिस्ट में पहला यात्री

3.1 इस करतूत के बाद पकड़े जाने पर मुंबई के कारोबारी देश का पहला ऐसा व्यक्ति बन गया है, जिसे नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया था।

3.2 यानी देशभर में उसे किसी भी विमान में सफर पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ ही वह देश का पहला व्यक्ति बना था, जिस पर नए व कठोर विमान अपहरण रोधी कानून-2016 के तहत केस दर्ज किया गया था।

क्या कहता है कानून

4.1 विमान अपहरण रोधी कानून सरकारी अधिसूचना के बाद साल 2017 के जुलाई माह में लागू हुआ था। इस कानून में किसी भी व्यक्ति की मौत की स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान है। ज्ञातव्य है कि 2016 के विमान अपहरण रोधी अधिनियम ने 1982 के पुराने कानून की जगह ली थी।

4.2 पुराने कानून के मुताबिक बंधकों जैसे कि विमान के चालक दल के सदस्यों, यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों की मौत की स्थिति में ही अपहरणकर्ताओं के खिलाफ सुनवाई हो सकती थी लेकिन नए कानून में विमान में सवार सुरक्षाकर्मियों या ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ की मौत की स्थिति को शामिल करते हुए इसकी व्याख्या को और विस्तार दिया गया।

4.3 विमान अपहरण के अन्य मामलों में दोषी के अधिकार वाली चल-अचल संपत्ति को जब्त करने के अलावा उसे उम्रकैद एवं जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। धमकी, अपराध को अंजाम देने का प्रयास या इसके लिए उकसाने समेत विमान अपहरण की व्याख्या के अंदर कई कृत्यों को शामिल किया गया है।

4.4 इस कानून के तहत जो भी ऐसा कोई अपराध करता है या ऐसे अपराध के लिए अन्य लोगों को निर्देशित करता है, उसे विमान अपहरण के अपराध का दोषी समझा जाएगा।

विमान अपहरण की प्रमुख घटनाएँ

5.1 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 का अपहरण करके आतंकवादियों ने उसे अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में ही क्रैश करा दिया था, जिसमें फ्लाइट में मौजूद सभी 329 लोगों की जान चली गई।

5.2 9/11 को किये गये अपहृत विमान को आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया, जिससे तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस घटना को ओसामा-बिन लादेन ने अंजाम दिया था।

5.3 इराकी एयरवेज फ्लाइट 163 को हिजबुल्लाह के चार सदस्यों ने हाइजैक कर लिया तथा इसके बाद उन्होंने कॉक पिट में ग्रेनेड से विस्फोट किया जिससे प्लेन क्रैश हो गया। इस कारण सभी 63 लोगों की मौत हो गई।

मृत क्षेत्र

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि मेक्सिको की खाड़ी में पिछले 35 वर्षों में प्रत्येक गर्मी के मौसम में शहरी सीवेज व मिडवेस्टर्न फार्म के खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों से ऑक्सीजन रहित क्षेत्र बन रहा है, जो वहाँ की स्थानीय जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है।

1.2 सीवेज से उर्वरक और फास्फोरस से नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व शैवाल के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

मृत क्षेत्र क्या है?

2.1 मृत क्षेत्र या अक्रिय क्षेत्र (Dead Zone) को हाइपोक्सिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होना। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ईयर बुक के मुताबिक दुनिया के महासागरों में 146 अक्रिय क्षेत्र (Dead Zone) या मृत क्षेत्र थे जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवन संभव नहीं हो सकता, जो अब 400 से अधिक हो गए हैं और आने वाले दिनों में इसमें और भी वृद्धि हो सकती है।

2.2 वैसे तो इस तरह के क्षेत्र का विकास प्राकृतिक होता है लेकिन समकालीन युग में मनुष्य जनित प्रदूषण के कारण भी हो रहा है।

मृत क्षेत्र के विकास का कारण

3.1 पानी में रासायनिक पोषक तत्वों में वृद्धि से शैवाल के अत्यधिक खिलने में मदद मिलती है जो जल निकायों के निचले स्तर पर ऑक्सीजन के एकाग्रता को कम करते हैं।

3.2 नाइट्रोजन और फास्फोरस का कृषि प्रवाह के कारण भी जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।

3.3 अनुपचारित मलप्रवाह-पद्धति, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन और यहां तक कि प्राकृतिक कारक भी जल निकायों में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती हैं।

ऑक्सीजन क्या है

4.1 ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन का एक केंद्रीय तत्व है क्योंकि यह एरोबिक श्वसन [वायवीय (एरोबिक) का अर्थ है 'हवा के साथ' इस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए इसे वायवीय (एरोबिक) श्वसन कहा जाता है।] में मदद करता है जो $C_6H_{12}O_6$ को CO_2 और H_2O परिवर्तित करता है जिससे कोशिकाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है।

ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र

5.1 जल निकायों जैसे महासागर का वो क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन संतृप्ति सबसे कम होती है उसे ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र (Oxygen Minimum Zone) कहते हैं। इसे छाया क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

5.2 यह जल निकायों का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जलीय जीवन संभव नहीं होता। यह स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लगभग 200 से 1000 मीटर की गहराई को संदर्भित करता है।

5.3 हालांकि, यह विश्व भर में पाया जाता है, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहुत प्रचलित है। यह महासागरों में कार्बन और नाइट्रोजन चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है।

ऑक्सीजन को कम करने वाली प्रक्रियाएँ

6.1 हवा और लहरों से सतह के पानी के मिश्रण के माध्यम से ऑक्सीजन को पानी में अवशोषित किया जा सकता है लेकिन पानी में तापमान और लवणता बढ़ने पर ऑक्सीजन की घुलनशीलता या पानी में घुलने की इसकी क्षमता कम हो जाती है।

6.2 मानव गतिविधियों द्वारा समुद्र के तापमान और परिसंचरण स्वरूप में परिवर्तन होने की वजह से पानी में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र (Oxygen Minimum Zone) का विस्तार हो रहा है।

मेक्सिको की खाड़ी

7.1 मेक्सिको की खाड़ी पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र है। यह उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरीबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किमी है।

7.2 इस समुद्र में विलय होने वाली सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी है। इसके पश्चिमोत्तर छोर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य और उत्तर में अमेरिका के ही अलाबामा, मिसिसिपी, लुइजियाना और टेक्सस राज्य हैं।

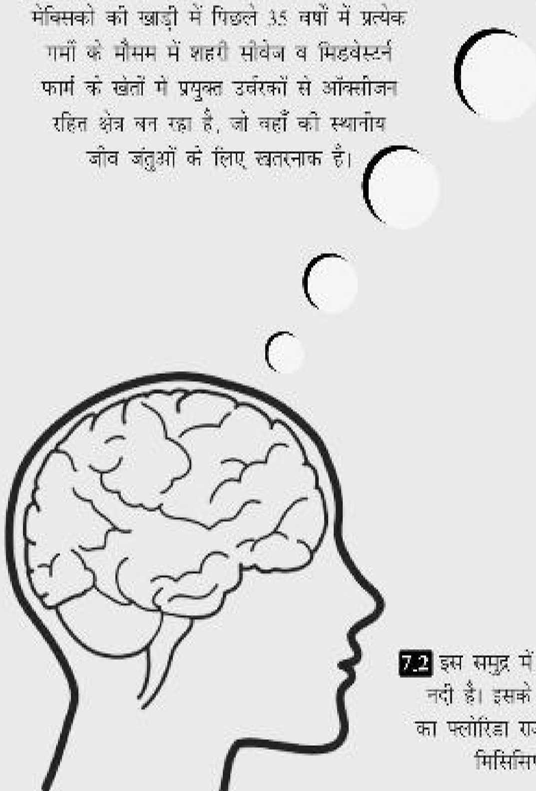

इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी

चर्चा का कारण

1.1 देश में मोबाइल फोन की चोरी और क्लोनिंग से जुड़े मामलों को देखते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट बहुत जल्द आईएमईआई नंबरों का डेटाबेस लाने जा रही है।

1.2 सरकार सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) तैयार करने जा रही है, जो हर मोबाइल डिवाइस के 15 डिजिट वाले खास आईएमईआई नंबर का बड़ा डेटाबेस होगा।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत में मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की रजिस्ट्री तैयार करने को सबसे पहले नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी-2012 में मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए बीएसएनएल की ओर से आईटी प्रोजेक्ट यूनिट पुणे में शुरू की गई थी।

2.2 सबसे पहले दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस प्रोजेक्ट को जुलाई, 2017 में शुरू किया था और तब यह एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह महाराष्ट्र में शुरू किया गया था।

क्या होता आईएमईआई नंबर

3.1 इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी आईएमईआई नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यह नंबर 15 डिजिट का होता है और यह मोबाइल का एक पहचान नंबर होता है।

3.2 यदि कोई मोबाइल सिंगल सिम वाला होता है तो उसमें एक आईएमईआई नंबर होता है जबकि डबल सिम वाले मोबाइल फोन में दो आईएमईआई नंबर होते हैं। जितने सिम का मोबाइल होता है उसके उतने ही आईएमईआई होते हैं। यह एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो पूरी दुनिया में केवल एक मोबाइल को ही दिया जाता है।

क्यों महत्वपूर्ण हैं आईएमईआई नंबर

4.1 इस नंबर की मदद से मोबाइल की सही स्थिति के बारे में पता किया जा सकता है। मोबाइल फोन के चोरी या गुम होने पर इस 15 डिजिट के आईएमईआई नंबर की मदद से उसकी लोकेशन के बारे में जाना जा सकता है।

4.2 पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ आईएमईआई नंबर की मदद से ही चोरी हुए मोबाइल का पता लगाती हैं। यदि चोरी करने वाले ने मोबाइल को डिएक्टिवेट भी कर दिया है तब भी यह आईएमईआई नंबर सक्रिय रहता है और मोबाइल की लोकेशन जानी जा सकती है।

उद्देश्य

5.1 भारत का CEIR तैयार करने के पीछे एक मकसद 'आईएमईआई से जुड़ी जांच और छानबीन' में आसानी भी है। ट्राई से मिले डेटा की मानें तो भारत में मार्च, 2019 तक 10 करोड़ से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं।

5.2 दूरसंचार विभाग की ओर से मोबाइल फोन्स की क्लोनिंग और चोरी पर चिंता जताते हुए कहा गया कि डिवाइस की चोरी किसी एक के लिए चिंता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकती है इसलिए ऐसे कार्यप्रणाली की आवश्यकता है।

5.3 इसका सबसे बड़ा फायदा फर्जी आईएमईआई नंबरों वाले डिवाइसेज को बंद करना और बाकी डिवाइसेज को नियमित करना होगा।

लाभ

6.1 आने वाले कुछ सप्ताह में इसके लागू होने के बाद भारत में फोन गुम हो जाने पर कस्टमर्स बेहतर ढंग से अपना स्मार्टफोन ट्रैक कर सकेंगे।

6.2 फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में कस्टमर्स पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद सीधे दूरसंचार विभाग (DoT) को हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकेंगे।

6.3 इसके बाद विभाग की ओर से उस आईएमईआई (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

6.4 ऐसे में उस आईएमईआई नंबर वाले स्मार्टफोन या मोबाइल डिवाइस पर कोई भी सेल्युलर नेटवर्क इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और एक तरह से वह बेकार हो जाएगा।

वैश्विक स्थिति

7.1 चोरी के मोबाइल के इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मिस्त्र और तुर्की जैसे देशों में यह सुविधा पहले से मौजूद है।

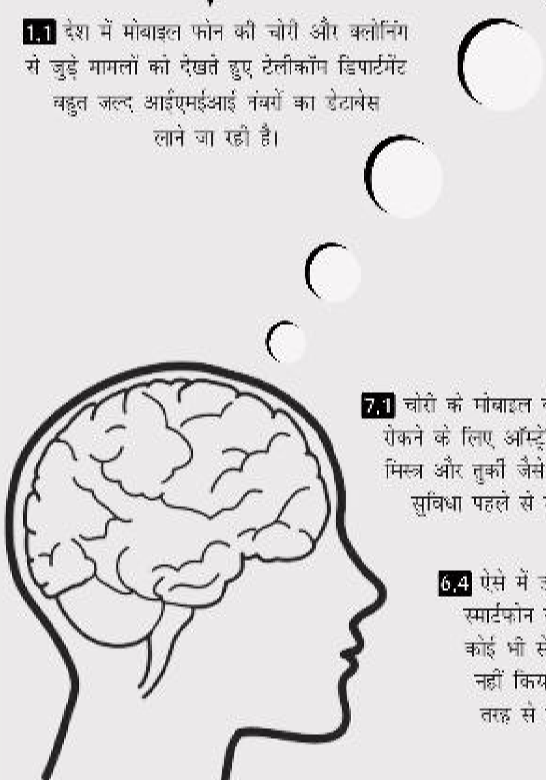

कलादान प्रोजेक्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में म्यांमार में सक्रिय आतंकी संगठन अराकान आर्मी के खिलाफ भारतीय और म्यांमार की सेना ने बड़े पैमाने पर संयुक्त कार्रवाई की है जिसके चलते यह संगठन कलादान प्रोजेक्ट में चल रहे अहम निर्माण कार्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है।

1.2 यह आतंकी समूह पूर्वोत्तर भारत और कोलकाता के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कलादान प्रोजेक्ट में चल रहे निर्माण कार्य को नुकसान पहुँचाने की फिराक में था।

कलादान प्रोजेक्ट क्या है

2.1 कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच चलाई जा रही एक अहम परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूर्वोत्तर से जुड़ने के लिए सिलीगुड़ी में 'चिकन नेक' पर निर्भरता को खत्म करना है।

2.2 कलादान परियोजना के माध्यम से कलादान नदी से मिजोरम तक जलीय परिवहन की सुविधा होगी। इस परियोजना से म्यांमार के अराकान राज्य के सितवे बंदरगाह को चिन राज्य के पलेतवा बंदरगाह होते हुए मिजोरम तक सड़क से जोड़ा जाएगा।

2.3 साथ ही यह कोलकाता से मिजोरम की दूरी को एक हजार किलोमीटर कम कर देगा। म्यांमार की कलादान परियोजना के वर्ष 2020 तक चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

2.4 यह परियोजना कलकत्ता से सितवे तक की दूरी को 1,328 किमी. तक घटा देगी जिससे चिकन नेक की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

2.5 भारत पहले बांग्लादेश से पारगमन की सुविधा माँग रहा था लेकिन बांग्लादेश द्वारा सहयोग नहीं करने से भारत ने म्यांमार की कलादान नदी परियोजना के लिए 10 करोड़ डॉलर का निवेश करना बेहतर समझा।

2.6 फिलहाल कलादान नदी से मिजोरम तक म्यांमार के व्यापारी आम तौर पर पैडल बोट के माध्यम से आते जाते हैं। इस जल मार्ग के निर्माण के लिए दोनों ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि उग्रवादी तत्व इसमें बाधा न डाल पाएं।

लाभ

3.1 इससे भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि म्यांमार के रास्ते ही भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम और थाइलैंड आदि से जमीनी सम्पर्क बनाए जा सकते हैं।

भारत के लिए सितवे का महत्त्व

4.1 म्यांमार का सितवे बंदरगाह चारों तरफ से जमीन से घिरे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिजोरम के रास्ते बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा। इससे कोलकाता के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा।

4.2 भारत की एक्ट ईस्ट नीति के कार्यान्वयन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इस पर हस्ताक्षर किए जाने से भारत का म्यांमार के साथ संपर्क बेहतर होगा और म्यांमार के पूरे क्षेत्र खासकर रखाइन एवं चिन राज्यों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

5.1 वर्तमान में चीन केवल थलीय सीमा पर ही रक्षा चुनौतियाँ नहीं पेश कर रहा है, बल्कि वह भारत की सामुद्रिक घेराबंदी करने में भी लगा हुआ है। चीन की रक्षा तैयारियों को देखते हुए भारतीय नौसेना को आक्रामक और प्रतिरक्षात्मक तौर पर मजबूत होना होगा।

5.2 चीन म्यांमार को परमाणु व मिसाइल क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर रहा है। आशंका है कि चीन ने म्यांमार के द्वीपों पर भी नौ सैनिक सुविधाएँ बढ़ा रखी हैं ताकि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

5.3 म्यांमार के हांगई द्वीप पर रडार और सोनार जैसी संचार सुविधाओं का स्थापित किया जाना चीन की खतरनाक मंशा को दर्शा रही है। म्यांमार के क्याकप्यू में भी चीन बंदरगाह बना रहा है और उसके सिवाय बंदरगाह पर भी चीन का आवागमन है। वहां के सितवे बंदरगाह पर चीन एक तेल व गैसपाइप लाइन बना रहा है।

5.4 गौरतलब है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोको द्वीप पर चीन अपनी ताकत बढ़ाकर आधुनिक नौ सैनिक सुविधाएँ पहले ही स्थापित कर चुका है।

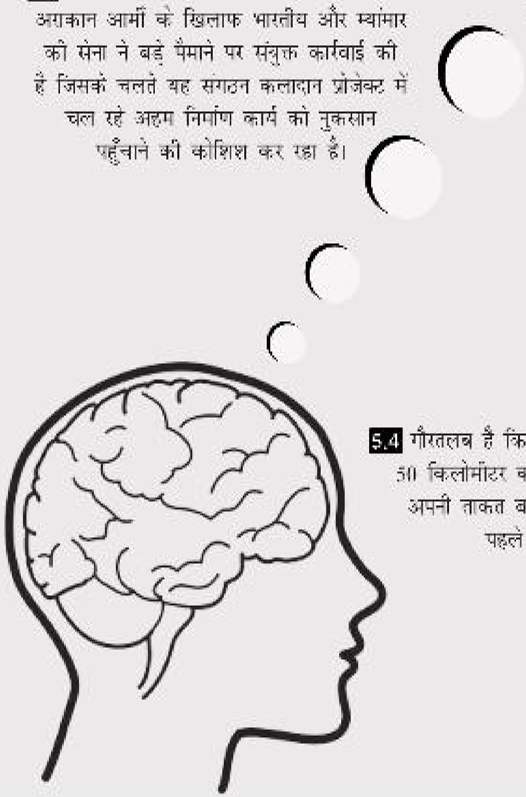

वैश्विक कर प्रणाली

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जी-20 समूह देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि गूगल, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर कर लगाने के लिए तत्काल एक वैश्विक कर प्रणाली की जरूरत है। इस कार्य के लिए जी-20 समूह देशों ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) को जिम्मेदारी सौंपी है।

1.2 फेसबुक के दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं, जिसमें से 49 करोड़ यूजर्स एशिया-पेसीफिक क्षेत्र में, 27 करोड़ यूरोप में और 18 करोड़ नॉर्थ अमेरिका में हैं। जी-20 देश किस दर से टैक्स वसूलेंगे और उसे किस तरह आपस में बांटेंगे एवं कौन सी कंपनियाँ इसके दायरे में आएंगी यह अभी तय होना बाकी है।

डिजिटल टैक्स की आवश्यकता क्यों

2.1 कुछ बड़ी कंपनियाँ आयरलैंड जैसे देशों में कम कर होने का लाभ उठा रही हैं और उन देशों में कर के तौर पर कुछ भी नहीं दे रही हैं जहां वह बड़ा लाभ कमा रही हैं।

2.2 ब्रिटेन ने कहा कि बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर सही से कर लगाना एक तरह से कर प्रणाली में जनता के साथ होने वाले अन्याय का जवाब होगा।

2.3 इंटरनेट कंपनियाँ कम टैक्स वाले न्याय क्षेत्रों से ऑपरेट करती हैं, लेकिन कई अन्य जगहों में भी उनका व्यापार फैला रहता है। वहां वे मौजूद हुए बिना करोड़ों रुपए कमाती हैं और टैक्स बचाती हैं।

2.4 भारत का मानना है कि इन इंटरनेट कंपनियों के यूजर्स जिन देशों में हैं, वहां के न्यायक्षेत्र के हिसाब से इन कंपनियों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।

भारत में स्थिति

3.1 जब कोई भारतीय ग्राहक इंटरनेट कंपनियों का उपयोग करता है, या इन कंपनियों को विज्ञापन देता है, तो इसका भी सीधा फायदा उन कंपनियों को ही होता है। इसके बावजूद उन्हें भारत में टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो यहां बुनियादी तौर पर मौजूद नहीं हैं।

3.2 ऐसे में यहां से हुई स्थानीय कमाई पर कंपनियों का टैक्स बच जाता है। इनकी जगह अगर कोई भारतीय कंपनी अपने ही देश में ऐसे व्यापार करती, तो उसे लाखों करोड़ों का टैक्स देना पड़ता।

3.3 जिन देशों में इन कंपनियों के यूजर्स हैं, वहां के न्याय क्षेत्र के हिसाब से अगर इन पर टैक्स लगा दिए जाएं, तो कंपनी के कुल लाभ पर सरकार को बड़ा फायदा होगा।

3.4 अधिकतर बड़ी कंपनियाँ भारत में दो इकाइयों यानी एक भारतीय और एक विदेशी कंपनी (टैक्स हेवेन में रजिस्टर्ड) के जरिए काम करती हैं। भारतीय इकाई केवल इंटरमीडियरी या कमीशन एजेंट के तौर पर काम करती है और अधिकांश कमाई सीधे विदेश में रजिस्टर्ड कंपनियों के हेडक्वॉर्टर भेज दी जाती हैं।

भारत के संदर्भ में प्रभाव

4.1 डिजिटल टैक्स न केवल गूगल, फेसबुक या नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों पर असर डालेगा, बल्कि बहुत सारी छोटी टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से चलने वाली कंपनियों को भी प्रभावित करेगा जिनका भारत में ऑपरेशन है।

सुझाव

5.1 जानकारों का मानना है कि कुछ कंपनियां टैक्स चुकाने से बचना नहीं चाहती हैं लेकिन सरकार को एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहिए, जो सभी के लिए काम करे। इनकम टैक्स कानून में संशोधन से सरकार को व्यापार समझौतों पर दोबारा बातचीत करने की क्षमता मिलेगी, जिसके बाद ही कंपनियां भारत में टैक्स का भुगतान शुरू करेंगी।

5.2 टैक्सेशन के अंतर्राष्ट्रीय कानून की शर्तों में एकरूपता होनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक कंपनियां भारत में परिचालन कर रही हैं और भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियां भी पूरी दुनिया में कारोबार कर रही हैं।

5.3 एक संभावना यह भी है कि किसी कंपनी से एकत्रित किए गए कर राजस्व को सभी देशों के बीच उसके यूजर्स की संख्या के आधार पर बांटा जाए। इसका मतलब है कि फेसबुक, जिसने कम टैक्स दरों का लाभ देने के लिए अपने लाभ और कर भुगतान को आयरलैंड में केंद्रित किया है, को अपना टैक्स भुगतान उन देशों में ज्यादा करना होगा जहां उसके सबसे ज्यादा यूजर्स हैं।

एक देश एक चुनाव

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में एक देश एक चुनाव मुद्दे पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों के साथ एक बैठक की थी ताकि भविष्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर चर्चा हो सके।

1.2 नीति आयोग ने भी कहा है कि वर्ष 2024 से लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराना राष्ट्रीय हित में होगा।

एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों

2.1 चुनाव की तारीखें घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। इसकी वजह से सरकारें नए विकास कार्यक्रमों की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इससे अस्थिरता बढ़ती है और देश का आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है।

2.2 देश में लगभग प्रत्येक वर्ष चुनाव कराए जाते हैं। इसमें काफी मात्रा में धन और समय दोनों की बर्बादी होती है। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव पर 1,100 करोड़ रुपए खर्च हुए और वर्ष 2014 में यह खर्च बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए हो गया था।

2.3 बार-बार चुनाव कराने से शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के काम-काज प्रभावित होते हैं क्योंकि चुनाव के काम में बड़ी संख्या में शिक्षकों सहित एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है।

2.4 लगातार जारी चुनावी रैलियों के कारण यातायात से संबंधित समस्याएँ होती हैं। साथ ही साथ मानव संसाधन की उत्पादकता में भी कमी आती है। सांसदों और विधायकों का कार्यकाल एक ही होने के कारण उनके बीच समन्वय बढ़ेगा।

2.5 दरअसल, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। हालांकि, भारत में वर्ष 1967-68 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे क्योंकि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाएँ एक ही समय पर विघटित होती थीं।

समस्या

3.1 चुनाव आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव करने के लिए संविधान संशोधन की भी आवश्यकता होगी। बार-बार होने वाले चुनाव सरकार के लिए एक नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था बनाते हैं।

3.2 विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, जबकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर। ऐसे में दोनों चुनाव एक साथ कराने पर जनता के मन में भ्रम हो सकता है।

3.3 चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिलता है, एक साथ चुनाव न कराए जाने से बेरोजगारी बढ़ेगी।

एक साथ चुनाव के फायदे

4.1 एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक बचत होगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राज्यों को बार-बार आचार संहिता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे सरकारी कामकाज में भी रूकावट नहीं आएगी।

4.2 बार-बार चुनाव कराने से शिक्षा क्षेत्र के कामकाज भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नुकसान से भी मुक्ति मिलेगी।

4.3 लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इनमें कालेधन का उपयोग बड़ी मात्रा में होता है। यदि एकसाथ चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा।

नुकसान

5.1 यदि देश में एकसाथ चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को होगा। जहां क्षेत्रीय पार्टियां सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ेंगी, वहीं राष्ट्रीय पार्टियाँ इस मामले में उनसे कई गुना आगे होंगी। ऐसे में वे राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी।

5.2 जब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे तो क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। चुनावी सभाओं में क्षेत्रीय से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा होगी।

5.3 एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि एकसाथ चुनाव होने की स्थिति में चुनाव परिणाम विलंब से प्राप्त होंगे। मतगणना के दौरान सीमित सरकारी मशीनरी के चलते रिजल्ट देरी से मिलेंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करनी होगी।

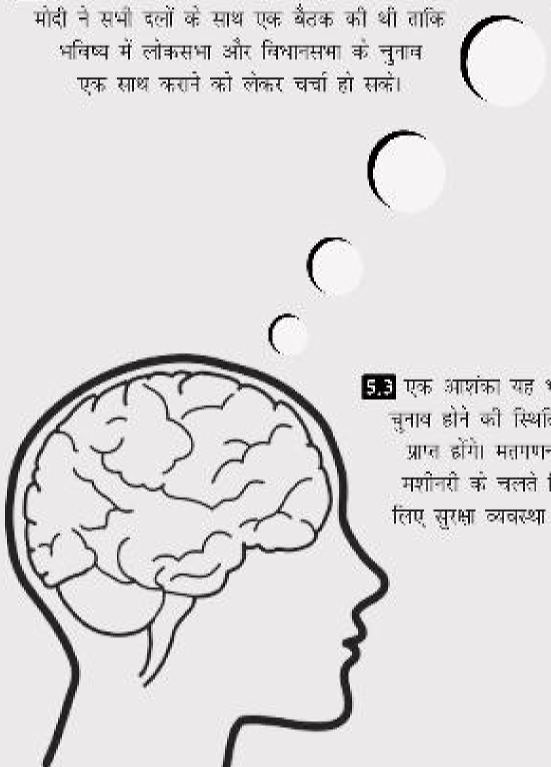

भारत और अफ्रीकी संघ

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत और अफ्रीकी संघ के बीच भारत अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोगात्मक मंच की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन अनुसंधान और विकास, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, दवा व्यापार और दवाओं व निदान के लिए विनिर्माण क्षमताओं में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

अफ्रीकी संघ क्या है

2.1 अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है, इसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता को मजबूत करना है।

2.2 अफ्रीकी संघ की स्थापना 26 मई, 2001 को इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में की गयी थी. इसे 9 जुलाई, 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना आर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के स्थान पर की गयी थी।

2.3 इसकी आधिकारिक भाषाएँ हैं : अरबी, फ्रांसिसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, सोमाली, स्पेनिश, स्वाहिली तथा अफ्रीकी।

उद्देश्य

3.1 अफ्रीकी एकता संगठन का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है, वे हैं अफ्रीकी राज्यों में एकता और भाईचारे को प्रोत्साहन देना, अफ्रीकी लोगों की जीवन-दशा में सुधार लाने के लिए राज्यों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना तथा उन्हें और अधिक तीव्र बनाना, उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना।

3.2 इसके अलावा अफ्रीका से सभी प्रकार के उपनिवेशवाद का सम्मान करना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा सार्वभौमिक मानवाधिकार का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना।

3.3 अफ्रीकी एकता संगठन सदस्यों के साथ समानता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, राजनीतिक विद्रोह का बिना शर्त निंदा और संपूर्ण अफ्रीका को प्रगति के लिये प्रतिबद्धता के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

भारत और अफ्रीकी संघ के बीच संबंध

4.1 भारत का शीर्ष नेतृत्व लगातार अफ्रीका महाद्वीप के दौरे करके आपसी संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसका उल्लेखनीय उदाहरण यही है कि राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अक्तूबर, 2017 में जिबूती और इथियोपिया की पहली विदेश यात्रा की थी।

4.2 अफ्रीकी महाद्वीप इस समय अपने संक्रमण के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और उसकी विकास-यात्रा में भारत अनेक भूमिकाओं का निर्वाह कर सकता है।

4.3 वर्तमान दौर में भारत ने जो खास काम इस महाद्वीप में किया है, वह है विकास के लिए अनेक प्रकार की पहल करना। इन पहलों में से कुछ हैं, भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग (ITEC), टीम 9 और अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क, जिनका उद्देश्य है, संस्थागत और मानवीय क्षमता का निर्माण और कौशल व ज्ञान-अंतरण को सुगम बनाना।

4.4 केरल अपने उन प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए, जो कच्चे माल की तंगी से जूझ रहे हैं, अफ्रीकी देशों से काजू आयात करने की योजना बना रहा है।

4.5 इसी प्रकार इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका केरल सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वावलंबी संगठन "कुडुम्बश्री" के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य गरीबी मिटाना और महिलाओं का सशक्तीकरण करना है ताकि वे अपने-अपने देशों में इस मॉडल को स्थानीय स्वरूप प्रदान करते हुए अनुकूलित कर सकें।

4.6 भारतीय कारोबारी अफ्रीका के भौगोलिक रिक्त स्थानों और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। कृषि-व्यवसाय, इंजीनियरिंग, निर्माण, फिल्म वितरण, सीमेंट, प्लास्टिक्स और सिरेमिक्स निर्माण, विज्ञापन, विपणन, फार्मास्युटिकल्स और दूरसंचार जैसे केवल कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीय लोग सक्रिय हैं।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. विमान अपहरण रोधी कानून

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विमान अपहरण रोधी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को मृत्युदण्ड देने का प्रावधान है।
2. विमान अपहरण के मामले में दोषी व्यक्ति के चल-अचल संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः विमान अपहरण रोधी कानून सरकारी अधिसूचना के बाद साल 2017 के जुलाई माह में लागू हुआ था। इस कानून में किसी भी व्यक्ति की मौत की स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान है। ज्ञातव्य है कि 2016 के विमान अपहरण रोधी अधिनियम ने 1982 के पुराने कानून की जगह ली थी। विमान अपहरण के अन्य मामलों में दोषी के अधिकार वाली चल-अचल संपत्ति को जब्त करने के अलावा उसे उम्रकैद एवं जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। धमकी, अपराध को अंजाम देने का प्रयास या इसके लिए उकसाने समेत विमान अपहरण की व्याख्या के अंदर कई कृत्यों को शामिल किया गया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। ■

2. मृत क्षेत्र

प्र. मृत क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस क्षेत्र का विकास प्राकृतिक होता है।
2. नाइट्रोजन और फास्फोरस का कृषि प्रवाह के कारण भी जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः मृत क्षेत्र या अक्रिय क्षेत्र को हाइपोक्सिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होना। वैसे तो इस तरह के क्षेत्र का विकास प्राकृतिक होता है लेकिन समकालीन युग में मनुष्य जनित प्रदूषण के कारण भी हो रहा है। पानी में रासायनिक पोषक तत्वों में वृद्धि से शैवाल के अत्यधिक खिलने में मदद मिलती है जो जल निकायों के निचले स्तर पर ऑक्सीजन के एकाग्रता को कम करते हैं। अनुपचारित मलप्रवाह-पद्धति, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन और यहां तक कि प्राकृतिक कारक भी जल निकायों में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

3. इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी

प्र. इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की रजिस्ट्री तैयार करने को सबसे पहले नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी-2012 में मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए बीएसएनएल की ओर से आईटी प्रोजेक्ट यूनिट पुणे में शुरू की गई थी।
2. इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी आईएमईआई नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यह नंबर 15 डिजिट का होता है और यह मोबाइल का एक पहचान नंबर होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः देश में मोबाइल फोन की चोरी और क्लोनिंग से जुड़े मामलों को देखते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट बहुत जल्द आईएमईआई नंबरों का डेटाबेस लाने जा रही है। इस नंबर की मदद से मोबाइल की सही स्थिति के बारे में पता किया जा सकता है। मोबाइल फोन के चोरी या गुम होने पर इस 15 डिजिट के आईएमईआई नंबर की मदद से उसकी लोकेशन के बारे में जाना जा सकता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

4. कलादान प्रोजेक्ट

प्र. कलादान प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जा रही एक अहम परियोजना है।
2. इससे भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि म्यांमार के रास्ते ही भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम और थाइलैंड आदि से जमीनी सम्पर्क बनाए जा सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच चलाई जा रही एक अहम परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूर्वोत्तर से जुड़ने के लिए सिलीगुड़ी में 'चिकन नेक' पर निर्भरता को खत्म करना है। कलादान परियोजना के माध्यम से कलादान नदी से मिजोरम तक जलीय परिवहन की सुविधा होगी। इस परियोजना से म्यांमार के अराकान राज्य के सितवे बंदरगाह को चिन राज्य के पलेतवा बंदरगाह होते हुए मिजोरम तक सड़क से जोड़ा जाएगा। म्यांमार का सितवे बंदरगाह चारों तरफ से जमीन से घिरे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिजोरम के रास्ते बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा। इससे कोलकाता के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

5. वैश्विक कर प्रणाली

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में जी-20 समूह देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि गूगल, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर कर लगाने के लिए तत्काल एक वैश्विक कर प्रणाली की जरूरत है।
2. कुछ बड़ी कंपनियाँ आयरलैंड जैसे देशों में कम कर होने का लाभ उठा रही हैं और उन देशों में कर के तौर पर कुछ भी नहीं दे रही हैं जहां वह बड़ा लाभ कमा रही हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में जी-20 समूह देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि गूगल, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर कर लगाने के लिए तत्काल एक वैश्विक कर प्रणाली की जरूरत है। इस कार्य के लिए जी-20 समूह देशों ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) को जिम्मेदारी सौंपी है। फेसबुक के दुनियाभर में 1.4 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं, जिसमें से 49 करोड़ यूजर्स एशिया-पेसीफिक क्षेत्र में, 27 करोड़ यूरोप में और 18 करोड़ नॉर्थ अमेरिका में हैं। जी-20 देश किस दर से टैक्स वसूलेंगे और उसे किस तरह आपस में बांटेंगे एवं कौन सी कंपनियाँ इसके दायरे में आएंगी यह अभी तय होना बाकी है। इंटरनेट कंपनियाँ कम टैक्स वाले न्याय क्षेत्रों से ऑपरेट करती हैं, लेकिन कई अन्य जगहों में भी उनका व्यापार फैला रहता है। वहां वे मौजूद हुए बिना करोड़ों रुपए कमाती हैं और टैक्स बचाती हैं। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

6. एक देश एक चुनाव

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नीति आयोग ने कहा है कि वर्ष 2024 से लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराना राष्ट्रीय हित में होगा।
2. बार-बार चुनाव कराने से शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के काम-काज प्रभावित होते हैं क्योंकि चुनाव के काम में बड़ी संख्या में शिक्षकों सहित एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है।
3. जब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे तो क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। चुनावी सभाओं में क्षेत्रीय से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा होगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में एक देश एक चुनाव मुद्दे पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों के साथ एक बैठक की थी ताकि भविष्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर चर्चा हो सके। चुनाव की तारीखें घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती हैं। इसकी वजह से सरकारें नए विकास कार्यक्रमों की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इससे अस्थिरता बढ़ती है और देश का आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

7. भारत और अफ्रीकी संघ

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अफ्रीकी संघ में भारत शामिल है।
2. इस संघ का उद्देश्य विश्व में एकता को मजबूत करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है, इसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता को मजबूत करना है। अफ्रीकी संघ की स्थापना 26 मई, 2001 को इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में की गयी थी, इसे 9 जुलाई, 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के स्थान पर की गयी थी। अफ्रीकी एकता संगठन का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है, वे हैं- अफ्रीकी राज्यों में एकता और भाईचारे को प्रोत्साहन देना, अफ्रीकी लोगों की जीवन-दशा में सुधार लाने के लिए राज्यों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना तथा उन्हें और अधिक तीव्र बनाना, उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी करने की घोषणा की है?

-उत्तर प्रदेश

2. हाल ही में किस देश ने अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया जिससे दोनों देशों के मध्य तल्खी बढ़ गई?

-ईरान

3. हाल ही में लोमड़ी जैसी दिखने वाली बिल्ली Cat-fox की एक नई प्रजाति किस स्थान पर पाई गई है?

-उत्तरी कॉर्सिका

4. हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है?

-पंकज आडवाणी

5. हाल ही में किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया है?

-अमेरिका

6. केंद्र सरकार ने किस साल तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिये प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर बल दिया है?

-साल 2022

7. हाल ही में किस देश ने भारत के नागरिक शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी को 'स्टार ऑफ यरुशलम' से सम्मानित किया है?

-फिलिस्तीन

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का वर्णन करते हुए इसकी कमियों को उजागर कीजिए।

2. खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए।

3. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2018 तटीय क्षेत्रों में पर्यटन एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा तो देगा किंतु तटीय पारितंत्र के भी इससे प्रभावित होने की संभावना है। विश्लेषण कीजिए।

4. पादप किस्म एवं किसान अधिकार सुरक्षा एक्ट, 2001 किस प्रकार किसानों के हितों को सुरक्षित रखता है? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।

5. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कुपोषण से निपटने में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए, वर्ष 2030 तक भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य-2 (जीरो हंगर) को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

6. जलवायु परिवर्तन से प्रजातीय वितरण व आधिक्य भी प्रभावित होगी तथा जैव विविधता विलुप्ति का खतरा भी बढ़ेगा। चर्चा कीजिए।

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किये गये हैं? चर्चा कीजिए।

सात महत्त्वपूर्ण खबरें

1. पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली संस्था 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)' ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया है।

अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) उसे डाउनग्रेड कर 'ब्लैक लिस्ट' में डाल देगा। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। फ्लोरिडा के ओरलैंडो में आयोजित बैठक के समापन पर जारी एक बयान में एफएटीएफ ने चिंता व्यक्त की है कि 'न सिर्फ पाकिस्तान जनवरी की समय सीमा के साथ अपनी एक्शन प्लान को पूरा करने में विफल रहा है, बल्कि वह मई 2019 तक भी अपनी कार्य योजना को पूरा करने में विफल रहा है।' एफएटीएफ ने 'कड़ाई' से पाकिस्तान से अक्टूबर 2019 तक अपने एक्शन प्लान को पूरा करने को कहा है।

पाकिस्तान पिछले एक साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है और उसने FATF से पिछले साल जून में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मैकेनिज्म को मजबूत बनाने के लिए उसके साथ काम करने का वादा किया था। तब उनके बीच तय समय सीमा के अंदर 10-पॉइंट एक्शन प्लान पर काम करने की सहमति बनी थी। एक्शन प्लान में जमात-उद-दावा, फलाही-इंसानियत, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों की फंडिंग पर लगाम लगाने जैसे कदम शामिल थे।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स धन शोधन पर एक अंतर्सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में की गयी थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसी हैं। इसकी स्थापना का शुरूआती उद्देश्य धन शोधन का सामना करने के लिए नीति निर्माण करना था। वर्ष 2001 में इसके कार्यक्षेत्र में आतंकवादी फंडिंग को भी शामिल किया गया। वर्तमान में इसमें 38 सदस्य देश शामिल हैं। ■

2. विश्व शरणार्थी दिवस

हाल ही में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNRA) को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त (UNHCR) के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की घोषणा भी करता है। विश्व शरणार्थी दिवस 4 दिसंबर 2000 को संकल्प 55/76 पारित करके संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा घोषित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार दुनिया भर में युद्धों, प्रताड़ना और संकटों व अशांति से बचने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। वर्ष 2018 में लगभग 7 करोड़ 8 लाख लोगों को अपने देश छोड़कर भागना पड़ा जोकि रिकॉर्ड संख्या है। विस्थापन का ये दौर 2019 में भी जारी रहा है और काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जून महीने में ही लगभग तीन लाख लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। वहाँ विभिन्न नस्लीय गुटों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। वेनेजुएला में जारी आर्थिक व राजनैतिक संकट के कारण चार लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ये देश की कुल आबादी की लगभग दस प्रतिशत संख्या है। ये लोग पड़ोसी कोलंबिया, ब्राजील और पेरू में पहुँच रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सीरिया में गृहयुद्ध से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता लगातार उपलब्ध कराता रहा है। कुछ शरणार्थी संकट तो दशकों तक चले हैं। कीनिया के उत्तरी हिस्से में स्थित दादाब शविर में रहने वाले लगभग 2 लाख 11 हजार शरणार्थियों में से कुछ को तो वहाँ 25 वर्षों से भी ज्यादा समय तक रहना पड़ा। यमन में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ऐसे विवश हालात में फँस गई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संयोजक दुख-तकलीफों, युद्ध और बीमारियों का कुचक्र करार दिया है। यमन में 2015 से लाखों लोग हताहत हो चुके हैं और लगभग साढ़े 36 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें बहुत से युवा भी शामिल हैं। म्यांमार से विस्थापित हुए लगभग नौ लाख 10 हजार रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं। इनमें से ज्यादातर 2017 के आखिर में वहाँ पहुँचे थे। दुनिया भर में तमाम विस्थापितों में से बहुत कम संख्या में ही लोग अपने घरों या देशों को वापस लौट पा रहे हैं लेकिन जो लौट रहे हैं, उन्हें अपने घर और इलाके तबाह और बर्बाद मिल रहे हैं। ■

3. विश्व सिकल सेल दिवस वर्ष

विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में घोषणा की गई थी, कि हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन सिकल सेल रोग, इसके उपचार के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व सिकल सेल दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था।

सिकल सेल रोग

सिकल सेल रोग (एससीडी) या सिकल सेल एनीमिया (रक्ताल्पता) लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) की एक प्रमुख वंशानुगत असामान्यता है, जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्द्धचंद्र/हंसिया (सिकल) जैसा हो जाता है। ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएँ कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह कम या रूक जाता है। यह आरबीसी के जीवन काल को भी कम करता है तथा एनीमिया (रक्ताल्पता) का कारण बनता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया (रक्ताल्पता) के नाम से जाना जाता है। एससीडी के लक्षणों में गंभीर एनीमिया, दर्द, चक्कर आना, अंग क्षति या विफलता, गंभीर संक्रमण, स्ट्रोक, सिरदर्द, यकृत की समस्याएँ, जोड़ों की समस्याएँ और हृदय की समस्याएँ शामिल हैं।

दिवस मनाने का उद्देश्य

- इन विकारों के वैश्विक बोझ के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जागरूकता बढ़ाना।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समान पहुँच को बढ़ावा देना।
- इन विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- प्रभावित लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा और सहयोग देना।

प्रमुख तथ्य

- वैश्विक जनसंख्या का अनुमानित पाँच प्रतिशत हीमोग्लोबिन विकार मुख्यत: सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के जीन का वाहक है।
- हीमोग्लोबिन विकार वंशानुगत रक्त विकार है, जो कि आमतौर पर सामान्य स्वास्थ्य, माता-पिता दोनों से हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन की विरासत के कारण होता है।
- गंभीर हीमोग्लोबिन विकारों से पीड़ित 300,000 से अधिक बच्चे हर वर्ष पैदा होते हैं।
- प्रबंधन और रोकथाम कार्यक्रमों के माध्यम से हीमोग्लोबिन विकारों के स्वास्थ्य बोझ को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
- सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत है और यह संक्रामक नहीं है।
- यह अफ्रीका और एशिया में सबसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।

■

4. प्रोजेक्ट चूल्हा

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को धुएँ से मुक्त रसोई का माहौल प्रदान करने के लिए "चूल्हा" नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन नक्सल प्रभावित इलाकों तथा उन जिलों में लागू किया जायेगा जहाँ पर किसानों की आत्महत्या दर अधिक है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकार ने मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, इसकी टैगलाइन 'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' है। इसका उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है। इस योजना को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने OIC, BPCL और HPCL तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा क्रियान्वित किया। यह योजना सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गयी थी।

इस योजना के प्रमुख लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, द्वीप/नदी द्वीप निवासी, चाय बागान में कार्यरत लोग हैं। आरम्भ में सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक 5 करोड़ नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने लक्ष्य को संशोधित करके 8 करोड़ कनेक्शन कर दिया है और इसके लिए 12,800 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। ■

5. जलवायु परिवर्तन भारत में प्रमुख फसलों को प्रभावित कर रहा है

वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन भारत में अनाज पैदावार को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है और बेहद खराब मौसमी परिस्थितियों के कारण देश में धान के पैदावार पर काफी असर पड़ सकता है। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने भारत की पाँच प्रमुख खरीफ फसलों रागी, मक्का, बाजरा, ज्वार और धान पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया। जून से सितम्बर के बीच मानसून के मौसम में होने वाली इन खरीफ फसलों का भारत के अनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। गौरतलब है कि भारत में रबी फसल के मुकाबले खरीफ फसलों के पैदावार ज्यादा होते हैं। शोधकर्त्ताओं ने कहा कि भारत की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पाँचों अनाज आवश्यक हैं। 'एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, बाजरा, ज्वार और मक्का की फसलों पर बेहद खराब मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। हर साल जलवायु में होने वाले परिवर्तन का इनकी पैदावार पर कुछ खास असर नहीं होता है। सूखे

के दौरान भी इनकी पैदावार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन, भारत की मुख्य फसल 'धान' की पैदावार पर खराब मौसमी परिस्थितियों का कुप्रभाव ज्यादा होता है। पर्यावरण संबंधी आँकड़ों के अनुसार एक फसल (धान) पर अधिक से अधिक निर्भर रहने के कारण भारत की खाद्य आपूर्ति जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। भारत में तापमान और वर्षा की मात्रा साल दर साल बदलती रहती है और फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है। भारत में सूखा और तूफान जैसी बेहद खराब मौसमी परिस्थितियों की आवृत्ति बढ़ने के कारण अब महत्वपूर्ण हो गया है कि देश के अनाज पैदावार को इनसे बचाने का प्रबंध किया जाए। प्रत्येक फसल की पैदावार का डेटा भारत के विभिन्न राज्य कृषि मंत्रालयों से आया और इसमें 46 वर्ष (1966-2011) में भारत के 707 जिलों में से 593 को कवर किया गया है। ■

6. जीएसटी परिषद ने मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ाया

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल दो साल अर्थात 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर दस प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की मंजूरी दी है। जीएसटी परिषद की 21 जून 2019 को हुई 35वीं बैठक के बाद बताया गया कि जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण के लिए कंपनियों को आधार के इस्तेमाल की अनुमति देने का भी फैसला किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई वाली परिषद में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पाँच प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा गया है। जीएसटी को एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उसके तत्काल बाद सरकार ने दो साल के लिए पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी थी। अभी तक एनएए विभिन्न मामलों में 67 आदेश पारित कर चुका है।

जीएसटी परिषद

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) का गठन 15 सितंबर 2016 को किया गया था। यह परिषद् देश में जीएसटी कर निर्धारण से सम्बंधित प्रमुख नीति-निर्माता संगठन है। यह परिषद् जीएसटी कर दर, कर छूट, कर नियम तथा कर डेडलाइन इत्यादि का निर्धारण करती है। जीएसटी परिषद् के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इसके सदस्य के रूप में वित्त राज्य मंत्री के साथ-साथ राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हैं। ■

7. सरकार द्वारा एनएसएसओ एवं सीएसओ के विलय हेतु मंजूरी

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में विलय करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल बैठाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

- नई व्यवस्था के तहत सांख्यिकी शाखा, मुख्य मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
- इस सांख्यिकी शाखा में एनएसएसओ के साथ घटक के रूप में सीएसओ और एनएसएसओ शामिल होंगे।
- एनएसएसओ की अध्यक्षता सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव करेंगे। इसके विभिन्न विभाग महानिदेशक (डीजी) के जरिये सचिव को रिपोर्ट करेंगे।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) वृहद आर्थिक आंकड़े जैसे जीडीपी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है।

नये विभाग और उनके कार्य

- एनएसएसओ के डेटा प्रसंस्करण विभाग (डीपीडी) का नाम डेटा क्वालिटी एश्योरेंस विभाग (डीक्यूएडी) होगा।
- इस पर सर्वेक्षण के आँकड़ों और गैर-सर्वेक्षण आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की जिम्मेदारी होगी। गैर-सर्वेक्षण डेटा में आर्थिक गणना और प्रशासनिक आँकड़ों जैसी चीजें शामिल हैं।
- आदेश में राष्ट्रीय संख्यिकी आयोग (एनएससी) को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। यह देश में सांख्यिकी कार्यों की निगरानी करता है। सरकार ने एक जून 2005 को एनएससी की स्थापना की थी।

सीएसओ के बारे में

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसके कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का प्रमुख महानिदेशक होता है जिसकी सहायतार्थ पाँच अपर महानिदेशक होते हैं जो राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, अर्थ-सांख्यिकी प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग और समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग का कार्य देखते हैं। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. ई-कॉमर्स बाजार

- हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ई-कॉमर्स बाजार का अध्ययन कर रहा है। बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए यह अध्ययन आयोग को देश में ई-कॉमर्स के तौर तरीकों को बेहतर ढ़ंग से समझने और बाजार तथा कारोबारी प्रतिस्पर्द्धा पर इसके प्रभाव को जानने में मदद करेगा।
- ई-कॉमर्स का अध्ययन प्रतिस्पर्द्धा आयोग द्वारा अब तक कराए जा चुके कुल 20 बाजार सर्वेक्षणों में से एक है। इस तरह के अध्ययन बाजार में मौजूद स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक गतिविधियों को सराहने तथा उन्हें समर्थन प्रदान करने का उपयोगी आधार बन सकते हैं।

ई-कॉमर्स के अध्ययन का उद्देश्यः

- ई-कॉमर्स के संदर्भ में उभरती वितरण गतिविधियों और रणनीतियों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ बाजार के रुझान का अध्ययन करना।
- ई-कॉमर्स के तौर तरीकों और संविदात्मक प्रावधानों को समझने के लिए, उनके अंतर्निहित तार्किक और प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रभावों को जानना।
- ई-कॉमर्स से संबंधित बाधाओं, यदि कोई हो तो उनकी पहचान करना।
- ई-कॉमर्स के क्षेत्र में आयोग के लिए क्रियान्वयन और समर्थन वाली प्राथमिकताओं का पता लगाना।
- इस अध्ययन में अनुसंधान, बाजार सर्वेक्षण और हितधारकों की ओर से मिले सुझावों को शामिल किया जा रहा है। इसके लिए माध्यमिक और सहायक स्रोतों से गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी एकत्र की जा रही है।
- आयोग की बाजार अध्ययन टीम द्वारा डिजाइन की गई इस अध्ययन प्रक्रिया को एक बाहरी एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है। अध्ययन दल पूरे देश में कई हितधारकों के बीच प्रश्नावली सर्वेक्षण के बाद उद्यमों और उद्योग संघों के साथ परामर्श बैठकें कर रहा है।
- अध्ययन में ऐसे उत्पादों को शामिल करने पर जोर दिया गया है जिनका ऑनलाइन कारोबार बहुत अच्छा है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, जीवन शैली से जुड़े उत्पाद तथा यात्रा और आतिथ्य, खाद्य वितरण आदि जैसी सेवाएँ शामिल हैं।

2. डब्ल्यूएफआई 2019

- केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा यह घोषणा किया गया कि 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2019' खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी वैश्विक एवं घरेलू हितधारकों का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। उसके अनुसार यह सम्मेलन भारत को विश्व के खाद्य प्रसंस्करण गंतव्य या देश के रूप में रेखांकित करेगा।
- इस सम्मेलन में संबंधित मंत्रालय एवं विभाग, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपलब्ध निवेश अवसरों पर विचार-विमर्श करना और 'डब्ल्यूएफआई 2019' में भागीदारी के बारे में संबंधित लोगों को अवगत कराना है।
- मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि 'वर्ल्ड फूड इंडिया' का दूसरा संस्करण नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन और राजपथ प्रांगण में 1 से 4 नवम्बर, 2019 तक और भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा।
- वर्ष 2019 के लिए मंत्रालय कम से कम 15 देशों के साथ साझेदारी करने और कम से कम 80 देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लक्षित कर रहा है। इस आयोजन का स्लोगन 'विकास के लिए साझेदारी' होगा।
- मंत्रालय का कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत देश के 6 सुपरस्टार सेक्टरों में से एक है और इसके साथ ही इसमें भारत को दुनिया के एक प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण गंतव्य या देश के रूप में रूपांतरित करने की व्यापक क्षमता है।

- मंत्रालय के अनुसार भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने 11 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ बड़ी तेजी से विकास किया है, जो वैश्विक उद्योग के विकास की गति के मुकाबले दोगुनी है।

3. भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है तथा जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- मंत्रालय के अनुसार भारत के सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य को हासिल किया गया है और सभी को ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत संपूर्ण ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
- भारत बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम लागू कर रहा है। भारत पिछले 5 वर्षों से ऊर्जा का निर्यातक देश है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि के बारे में ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश में एक राष्ट्र, एक ग्रिड, हरित ऊर्जा गलियारा जैसे कार्यक्रमों को लागू किया गया है।
- हाल ही में संपन्न जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक में ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की सराहना की गई। आईआरईएनए के डीजी ने अपने भाषण में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की सफलता का जिक्र किया। आईईए के ईडी ने बैठक में भारत के विद्युतीकरण कार्यक्रम की सफलता की प्रशंसा की।

4. उपराष्ट्रपति का विधायिका को संदेश

- उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विधायिकाओं के कामकाज में आने वाली बाधाओं से देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ने की बनती धारणा के खिलाफ सांसदों को आगाह करते हुए उन्हें अपने कामकाज के तरीकों और सोच में बदलाव लाने की सलाह दी है।
- उपराष्ट्रपति ने सदन में कहा कि विधायिकाओं के कामकाज में लगातार बाधा उत्पन्न होने से लोगों के बीच नकारात्मक धारणा बनती है। उन्होंने कहा कि कामकाज में बाधा आने से कार्यदिवसों का भारी नुकसान होता है जिसकी वजह से कई विधेयक पारित नहीं हो पाते तथा लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर ऐसे विधेयक राज्य सभा में स्वत: निरस्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न काल के व्यर्थ हो जाने वाले हर घंटे का मतलब होता है सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों से जुड़े मुद्दों पर सदस्यों द्वारा सवाल पूछे जाने के अवसरों का खत्म होना।
- उन्होंने राज्यसभा के पिछले सत्र में सदन की कार्यवाही में उत्पन्न बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे इससे बेहद व्यथित हैं। उन्होंने कहा की आम जनता भी सदन में इस तरह बाधा उत्पन्न होने से बहुत विचलित और भ्रम की स्थिति में है।
- उपराष्ट्रपति के अनुसार हमारी जनप्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास और भरोसा खत्म होता जा रहा है और इसे रोकना होगा।
- उन्होंने सभी सांसदों से नए सत्र की शुरूआत के साथ ही नई सोच के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि 'हमारी संसद को 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण में अहम भूमिका निभानी है। हमारे लिए यह गौरव की बात है।'
- उन्होंने दो तिहाई युवा आबादी वाली जनसंख्या के साथ भारत को एक आकांक्षी देश बताते हुए कहा कि देश का हर नागरिक विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक है।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने तथा संस्थाओं को ज्यादा तेजी से अपनी जवाबदेही निभाने लायक बनाने के साथ ही शासन के तौर-तरीकों को जन कल्याण केन्द्रित बनाने का काम करना होगा। संसद में बैठे हमलोगों पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है।
- उन्होंने सदस्यों को स्मरण कराया कि वरिष्ठ सदस्यों का सदन होने के कारण राज्यसभा पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है। ऐसे में लोग हमसे सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर एक परिपक्व दृष्टिकोण, निष्पक्ष और संवेदनशील चिंतन तथा सार्थक विचार-विमर्श की अपेक्षा करते हैं। हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और अन्य विधायिकों के लिए रोल मॉडल बनना होगा।

5. डीएआईसी और डीआईसीसीआई के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

- हाल ही में डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (डीएआईसी) तथा दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (डीआईसीसीआई) के बीच नयी दिल्ली में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। डीएआईसी और डीआईसीसीआई के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए सामाजिक न्याय और

आधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं और युवाओं के बीच दलित उद्यमिता, सशक्तिकरण, कौशल विकास क्षमता निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव पर अनुसंधान के माध्यम से एससी और एसटी समुदायों का सशक्तिकरण करना है।

- डीआईसीसीआई दलित उद्यमियों को एक साथ जोड़ने का काम करने के साथ ही उनके लिए एक संसाधन केन्द्रों के रूप में भी काम करता है और इसके माध्यम से उनके आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद करता है। ऐसे में दलित समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए अनुसंधान का काम देख रहे डीएआईसी का डीआईसीसीआई के साथ आना दलित समुदाय के उत्थान के लिए काफी महत्व रखता है।
- इस संयुक्त उपक्रम के माध्यम से डीएआईसी यह देखने का प्रयास करेगा कि एससी और एसटी समुदाय किस हद तक अपने बूते अपना व्यवसाय शुरू कर पाया है। इन आँकड़ों से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आखिर किस वजह से दलित युवाओं में पर्याप्त उद्यमिता की भावना नहीं विकसित की जा सकी जिसके जरिए वह दुनिया में और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र

- अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोगात्मक प्रयास करने के लिए डीएआईसी और औद्योगिक संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- ज्ञान बैंक बनाने के लिए संयुक्त प्रयास जिसका उपयोग विद्वानों, शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं की सुविधा के लिए किया जा सकता है।
- शैक्षिक सामग्री और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करना।
- व्याख्यान कार्यक्रम, संगोष्ठी और अन्य प्रकार की शैक्षिक चर्चाओं का आयोजन करना तथा कर्मचारियों के लिए संयुक्त अनुसंधान कार्य करना ताकि पाठ्यक्रम की समीक्षा तथा शिक्षण और अनुसंधान कौशल को निखारा जा सके।
- संयुक्त रूप से सलाहकार सेवाएँ देना।
- बेहतर अनुसंधान और नीतिगत सुझावों के लिए शिक्षा संस्थाओं में उद्योग के तकनीकी ज्ञान को शामिल करने के लिए जमीन तैयार करना।
- शैक्षणिक और नीतिगत अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों और स्टार्ट-अप के लिए क्षमता निर्माण के लिए उद्योगों और संस्थानों, मंत्रालयों, अनुसंधान केंद्रों और एजेंसियों द्वारा डीएआईसी और डीआईसीसीआई की परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए एक सामान्य आधार तैयार करना।
- डीएआईसी और डीआईसीसीआई दोनों को आपसी प्रयासों से बनाये गये ज्ञान उत्पादों पर बौद्धिक संपदा अधिकार होगा।
- मूल शैक्षिक अनुसंधानों के लिए परिसर में निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- अनुभव-साझा करने और संस्थागत निर्माण गतिविधियों में भागीदारी।
- राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण गतिविधियों के रूप में नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना। उदाहरण के लिए, इसमें भारतीय प्रशासन प्रणाली की विशेष परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए सीखने और समर्थन सेवाएं शामिल हो सकती हैं।
- भारतीय शिक्षाविदों, अधिकारियों और पेशेवरों के लिए विशेष रूप से सीखने के तरीकों, अनुसंधान और नीति विश्लेषण, प्रशासन, सामाजिक न्याय और सामाजिक तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- कौशल विकास के उभरते रुझानों और रोजगार से संबंधित विषयों पर अनुसंधान सहयोग।
- श्रमिकों और वयस्कों के लिए दूरस्थ शिक्षा के लिए अभिनव शिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।

6. प्रशिक्षण महानिदेशालय ने आईटीआई विद्यार्थियों के लिए सिस्को तथा एक्सेंचर से समझौता किया

- देश के सभी आईटीआई के लगभग 15,00,000 विद्यार्थी भारत स्कील्ड पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं।
- कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्याम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की दो बड़ी कम्पनियों- सिस्को तथा एक्सेंचर के साथ समझौता किया है। क्रियान्वयन सहयोगी क्वेस्ट एलायंस के साथ यह कार्यक्रम देशभर के आईटीआई विद्यार्थियों को अगले दो वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कुशल बनाएगा। दोनों संगठनों ने कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के साथ आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए व्यापक रोजगार योग्य कौशल कार्यक्रम प्रारंभ करने का समझौता किया है।

- इस कार्यक्रम में डिजिटल साक्षरता, कॅरियर तैयारी, रोजगार योग्य कौशल तथा डाटा एनालेटिक्सि जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कौशल के लिए मॉडयूल के साथ तैयार पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभिक चरण तमिलनाडु, गुजरात, बिहार तथा असम के 227 आईटीआई में 1,00,000 से अधिक युवाओं को लक्षित करते हुए लागू किया जाएगा। कक्षा में कार्यक्रम के अन्तर्गत 240 से अधिक घंटे का प्रशिक्षण 21वीं सदी के कौशल के संबंध में दिया जाएगा। इसमें डिजिटल साक्षरता, डिजिटल प्रवाह कुशलता, सृजनात्मक समस्या समाधान सहित कार्यस्थल तैयारी कुशलता तथा निर्णय प्रक्रिया में डाटा उपयोग, कॅरियर प्रबन्धन कुशलता तथा कॅरियर को पहचानने और नियोजन करने की क्षमता शामिल हैं।
- सिस्को देशभर के आईटीआई विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से नेटवर्क एकेडमिक कोर्स का एक्सेस प्रदान करेगा।

7. झारखंड नगरपालिका विकास परियोजना

- भारत सरकार, झारखंड सरकार और विश्व बैंक ने झारखंड के लोगों को बुनियादी शहरी सेवाएँ मुहैया कराने और राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की प्रबंधन क्षमता बेहतर करने के लिए 147 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- झारखंड नगरपालिका विकास परियोजना के तहत बुनियादी शहरी सेवाएँ मुहैया कराने के लिए नगरपालिका क्षेत्र (सेक्टर) की क्षमता बेहतर करने पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत शहरी वित्त और गवर्नेंस के क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के लिए विभिन्न शहरी सेवाओं जैसे कि जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी एवं शहर की सड़कों में निवेश किया जाएगा और झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (जेयूआईडीसीओ) के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों की भी क्षमता मजबूत की जाएगी।
- यह तेजी से शहरीकरण की दिशा में अग्रसर इस राज्य की जरूरतों के अनुरूप है, जहाँ लगभग 31 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और झारखंड के 24 जिलों में से 9 जिलों में शहरी आबादी की वृद्धि दर भारत की 2.7 प्रतिशत की समग्र शहरीकरण गति से अधिक है।
- यह परियोजना शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत नगरपालिका सेवाओं में निवेश किया जाएगा।
- राज्य के सभी 43 यूएलबी के लिए अधिकांश घटक खुले हैं, जो इस योजना के सहमति फ्रेमवर्क के आधार पर सहभागी बन सकते हैं। इससे 3,50,000 शहरी निवासियों को लाभ होगा। इनमें से 45 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।
- पाइप के माध्यम से जलापूर्ति, जल निकासी के लिए पम्पों-मशीनों का इस्तेमाल, पर्यावरण अनुकूल सड़क निर्माण और ऊर्जा दक्षता के साथ सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था से शहरी सेवाएँ बेहतर होंगी और यह पर्यावरण के भी अनुकूल होगा।
- अन्य प्रमुख घटकों के तहत योजना से शहरी प्रशासन बेहतर होगा, क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी संगठन क्षमता में वृद्धि, वित्तीय प्रबंधन और नोडल एजेंसी जेयूआईडीसीओ के विकास के लिए सहायता दी जाएगी।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. एशिया

महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व के सभी महाद्वीपों में एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है।
- इसका अक्षांशीय विस्तार 10° दक्षिण अक्षांश से 80° उत्तरी अक्षांश के बीच है। परंतु एशिया की मुख्य भूमि का पूरा भाग विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार 25° पूर्वी देशांतर से 170° पश्चिमी देशांतर तक है।
- एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। एशिया तथा यूरोप के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत तथा कालासागर सीमा बनाते हैं जबकि एशिया एवं अफ्रीका के बीच स्वेज नहर, लाल सागर सीमा बनाते हैं।
- एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशान्त महासागर है। बेरिंग जल संधि द्वारा यह उत्तर अमेरिका से अलग होता है।

- कुछ दक्षिण द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है जिससे होकर तीन प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। न्यूगिनी द्वीप को एशिया तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच सीमा समझा जाता है।
- एशिया जितना ही बड़ा और आबादी वाला महाद्वीप है उतना ही जटिल और विविधतापूर्ण भी। इस महाद्वीप के भौतिक भू-दृश्य में भू-आकृतियों की विविधता और जटिलता देखने को मिलती है। दक्षिण-मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि से पर्वत श्रेणियों का एक जाल हर दिशा में फैला हुआ है। इन श्रेणियों के बीच उच्चभूमियाँ और घाटियाँ हैं। इनके अतिरिक्त, एशिया में अनेक ऊँचे पठार, विस्तृत मैदान और नदी घाटियाँ हैं।
- एशिया महाद्वीप में कई प्रायद्वीप और द्वीप हैं जो अपने पास के महासागर को कई समुद्रों और खाड़ियों में विभाजित करते हैं। भू-आकृतियों की भांति ही एशिया की जलवायु और उसकी प्राकृतिक वनस्पति में भी बहुत विविधता है।
- एशिया कई प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। यहाँ कोयला, खनिज तेल, लौह-अयस्क, मैंगनीज, टिन और बॉक्साइट के बड़े-बड़े निक्षेप हैं। एशिया में 20 प्रतिशत से कम भूमि कृषि के योग्य है। परन्तु यह कई फसलों जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार-बाजरा, पटसन, रबर, चाय, गन्ना, मसाले, तिलहन और नारियल का प्रमुख उत्पादक भी है।
- वन मुख्य रूप से महाद्वीप के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। उनसे कई तरह के उत्पाद जैसे लकड़ी, लुग्दी और रेयॉन प्राप्त होते हैं।
- एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक विस्तृत निचला मैदान है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत तथा पूर्व में लीना नदी के बीच फैला हुआ है। इसे साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है।

2. अफ्रीका

महत्वपूर्ण तथ्य

- अफ्रीका, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 30.37 मिलियन वर्ग किमी. है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थल क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत अफ्रीका में है। इस महाद्वीप का विस्तार 37°14' उत्तरी और 34°50' दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका सबसे अधिक उष्ण है। इसकी जलवायु, वनस्पति एवं जीव जन्तुओं में बहुत विविधता है।
- अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर पृथ्वी पर खींची गई तीनों काल्पनिक रेखाएँ (विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा) गुजरती हैं।
- विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा क्रमश: इसके उत्तरी एवं दक्षिणी भाग से होकर गुजरती हैं। स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी एवं लाल सागर अफ्रीका तथा एशिया के मध्य में सीमा बनाते हैं और जिब्राल्टर जलसंधि एवं भूमध्यसागर इसको यूरोप से भिन्न करते हैं।
- अफ्रीका महाद्वीप तीन स्थानों पर यूरेशिया महाद्वीप के बहुत निकट है। ये स्थान हैं- उत्तर-पश्चिम में जिब्राल्टर जलसंधि, उत्तर-पूर्व में स्वेज नहर, पूर्व में बाब-अल-मन्देब जलसंधि। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन, जंजीबार, पैंबा, सेशेल्स तथा कामरोस अफ्रीका के मुख्य महाद्वीप हैं।

3. यूरोप

महत्वपूर्ण तथ्य

- यूरोप एक छोटा सा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सात महाद्वीपों में इसका स्थान छठा है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप तथा 'यूरेशिया का प्रायद्वीप' भी कहा जाता है।
- इसका कुल क्षेत्रफल 10,180,000 वर्ग किमी. है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 7.04 प्रतिशत है। यूरोप ही अकेला ऐसा महाद्वीप है जो सघन आबादी के होते हुए भी बहुत समृद्ध है।
- स्थल गोलार्द्ध के मध्य इसकी बड़ी ही अनुकूल स्थिति है। इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पूर्व में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत तथा कैस्पियन सागर इसे एशिया से अलग करते हैं।
- कुछ भूगोलवेत्ताओं का विचार है कि यूरोप और एशिया एक ही महाद्वीप है और उसे यूरेशिया के नाम से पुकारना चाहिए लेकिन अपनी कुछ अलग विशेषताओं के कारण यूरोप को सामान्यत: एक पृथक महाद्वीप ही माना जाता है।
- यूरोप में अनेक प्रायद्वीप और द्वीप हैं। यूरोप का अधिकतर स्थल भाग समुद्र से अधिक दूर नहीं है। इसका कारण यह है कि समुद्र की विशाल भुजाएँ इसके अंदर तक प्रवेश कर गई हैं। इसकी तटरेखा बहुत ही दंतुरित (कटी-फटी) है। इसी के परिणामस्वरूप यहाँ के प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए अनेक उपयुक्त स्थान उपलब्ध हैं।

4. उत्तरी अमेरिका

महत्वपूर्ण तथ्य

- उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ई. में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई थी। यह विश्व का सबसे विकसित और महत्वपूर्ण महाद्वीप है इसलिए इसे 'नई दुनिया' की संज्ञा प्रदान की जाती है।
- उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 7° से 85° उत्तरी अक्षांश एवं 35° से 170° पश्चिमी देशांतर के मध्य विस्तृत है। उत्तर अमेरिका उत्तर-पश्चिम में अलास्का, उत्तर-पूर्व में लैब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा के मध्य फैला हुआ है। एशिया और अफ्रीका के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
- इसके उत्तर में ध्रुव महासागर है, जहाँ यह ठंडे और वीरान द्वीपों की श्रृंखला के रूप में टूट गया है। दक्षिण में यह महाद्वीप, भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं।
- यह उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। 'वेस्ट इंडीज' या पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से प्रसिद्ध अनेक द्वीपों का एक समूह भी इसी महाद्वीप का अंग है।
- दक्षिण अमेरिका से यह 'पनामा' स्थलसंधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी स्थलसंधि को काटकर पनामा नहर निकाली गई है, जो कैरेबियन सागर (अटलांटिक महासागर का एक भाग है) और प्रशांत महासागर के बीच एक सुंदर कड़ी का काम करती है। कैरेबियन सागर के तट पर कोलोन और प्रशांत तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है।
- उत्तर अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश स्थलरुद्ध नहीं है।

5. दक्षिण अमेरिका

महत्वपूर्ण तथ्य

- दक्षिण अमेरिका 12° उत्तरी से 55° दक्षिणी अक्षांशों एवं 35° से 82° पश्चिमी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। इस प्रकार इसका अधिकतर भाग दक्षिणी गोलार्द्ध में है।
- यह संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह अनेक भौतिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं से युक्त महाद्वीप है। इसका लगभग दो-तिहाई भाग विषुवत वृत्त के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला है।
- दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यह संसार की सबसे लम्बी पर्वत श्रेणी है।
- इस महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है। उत्तर में पनामा नहर बन जाने के पश्चात् यह उत्तरी अमेरिका से पृथक हो गया है। दक्षिण में ड्रेक-पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से पृथक करता है।
- इस महाद्वीप के उत्तर में कैरीबियन सागर, उत्तर-पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित है। इस महाद्वीप का उत्तरी भाग काफी चौड़ा है, किंतु दक्षिण की ओर यह क्रमशः पतला होकर प्रायद्वीप बनता है।
- इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जल-संधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दक्षिण-पूर्व में फॉकलैण्ड द्वीप है।

6. ओशेनिया

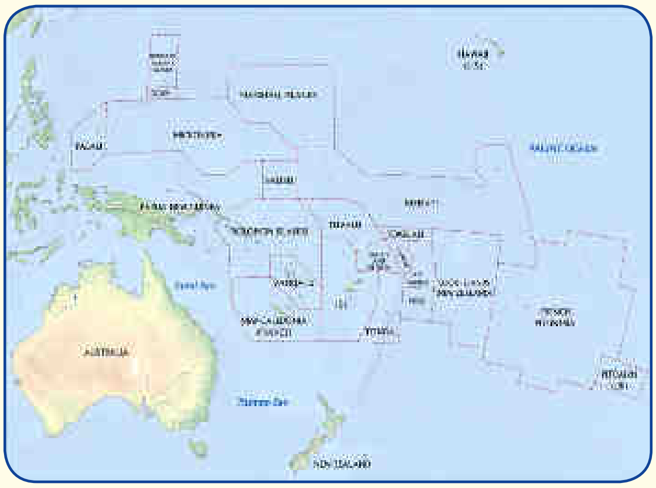

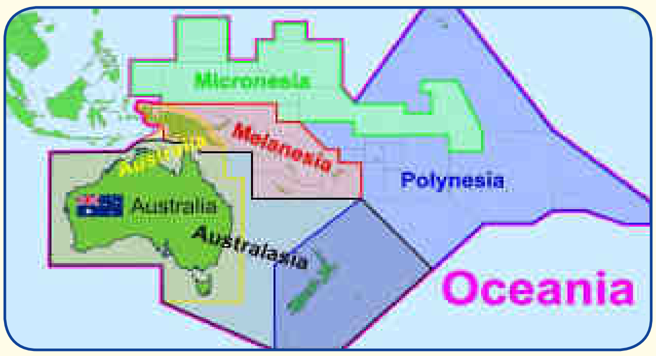

महत्वपूर्ण तथ्य

- ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा प्रशांत महासागर में बिखरे हुए बहुत से छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं। ओशेनिया के अधिकतर द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी अथवा मूंगों के द्वारा हुई है।
- ओशेनिया के न्यूगिनी जैसे द्वीप बहुत बड़े हैं जिसकी कुछ पर्वत चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊँची हैं, जबकि बहुत से द्वीप समुद्र तल से बहुत कम ऊँचे हैं।
- ओशेनिया का केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही ऐसा भाग है जिस पर निकट भूतकाल में ज्वालामुखी उद्गम के प्रमाण नहीं मिलते।
- न्यूजीलैण्ड तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ओशेनिया उष्ण कटिबंध में स्थित है। ओशेनिया महाद्वीप में कुल 22 देश सम्मिलित हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा तथा नौरू सबसे छोटा देश है। ओशेनिया में निम्न देश एवं द्वीप समूह सम्मिलित हैं-
  - ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड
  - मेलानेशिया- यह फिलीपीन्स द्वीपों के पूर्व में स्थित है।
  - माइक्रोनेशिया- यह इण्डोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है।
  - पोलीनेशिया- यह प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है।
- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर आस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं।

7. अंटार्कटिका

महत्वपूर्ण तथ्य

- अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्द्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिका वृत के दक्षिण में स्थित है।
- यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद, पृथ्वी का पाँचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है।
- अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। इसलिए इसे 'श्वेत महाद्वीप' के नाम से भी जाना जाता है।
- अंटार्कटिका का अधिकतर भाग ऊबड़-खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ का समुद्र तट खड़े ढाल वाला है। यहाँ तटीय मैदान नाममात्र का भी नहीं है।
- यहाँ इक्की दुक्की वनस्पति रहित घाटियाँ हैं जिनमें तेज आँधियाँ चलती रहती हैं। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस महाद्वीप का एक अनोखा भू-चिह्न है। यहाँ एक एर्बुस शिखर है जो यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है।
- पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है, जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। इस प्रायद्वीप में वनस्पति अन्य भागों की तुलना में अधिक है, पर वह भी नाममात्र का ही है। लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं।
- संसार के मीठे पानी के 70 प्रतिशत भंडार इस महाद्वीप के बर्फ छत्रकों तथा बर्फ की चादरों में संचित हैं।

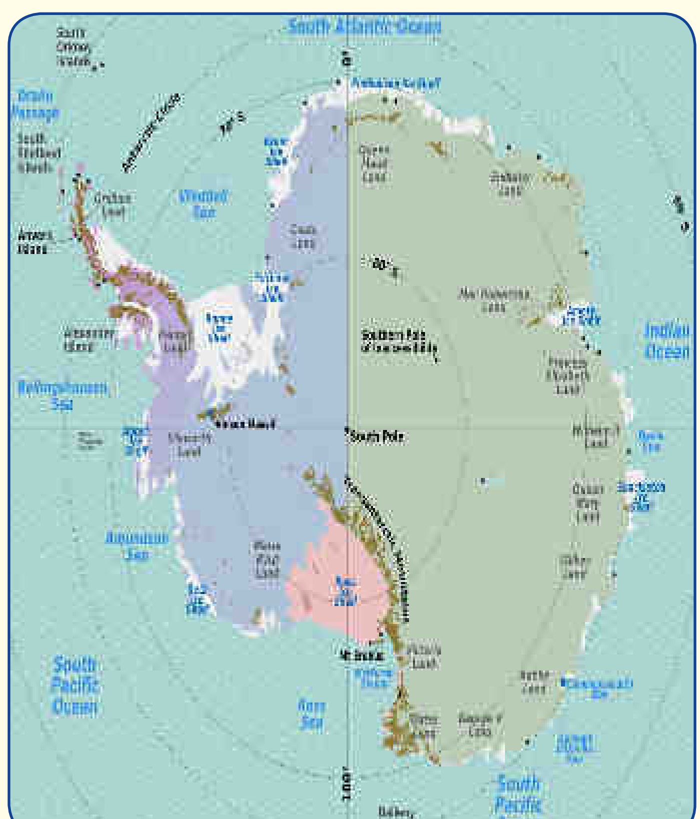

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003
LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
After achieving a phenomenal success with 120+ selections in CSE 2017, DHYEYA IAS has once again reached a new zenith of success with 122+ selection
KANISHAK KATARIA AIR 1
JUNAID AHMED AIR 3
We salute the spirit of our selected candidates and wish them a successful and bright future ahead
ANURAJ JAIN AIR-24
DEEPAK KUMAR DUBEY AIR-46
RENJINA MARY VARGHESE AIR-49
RANGASHREE AIR-50
GIRDHAR AIR-61
AYUSHI SINGH AIR-86
SAWAN KUMAR AIR-89
VEER PRATAP SINGH AIR-92
BRIJESH JYOTI UPADHYAY AIR-112
RANJEETA SHARMA AIR-130
CHITTYREDDY SRIPAL AIR-131
SHIV NARAYAN SHARMA AIR-149
SHAKTI MOHAN AVASTHY AIR-154
SIDDHARTH GOYAL AIR-163
GUNDALA REDDY RAGHAVENDRA AIR-180
GAUTAM GOYAL AIR-223
SHIVAM SHARMA AIR-251
INDERVEER SINGH AIR-259
GAURAV GUNJAN AIR-262
MD JAWED HUSSAIN AIR-280
DEEPTI BAGGA AIR-297
ARPIT GUPTA AIR-300
HIMANSHU GUPTA AIR-304
POORVI GARG AIR-317
NAVEEN KUMAR AIR-324
ADITYA KUMAR JHA AIR-339
SACHIN BANSAL AIR-349
CHIRAG JAIN AIR-355
LAKSHMAN KUMAR AIR-362
SAHIL GARG AIR-376
YOGITA AIR-384
ANIMESH GARG AIR-387
KIRTI PANDEY AIR-389
KUMAR BISWARANJAN AIR-391
GARIMA AIR-394
and many more...

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

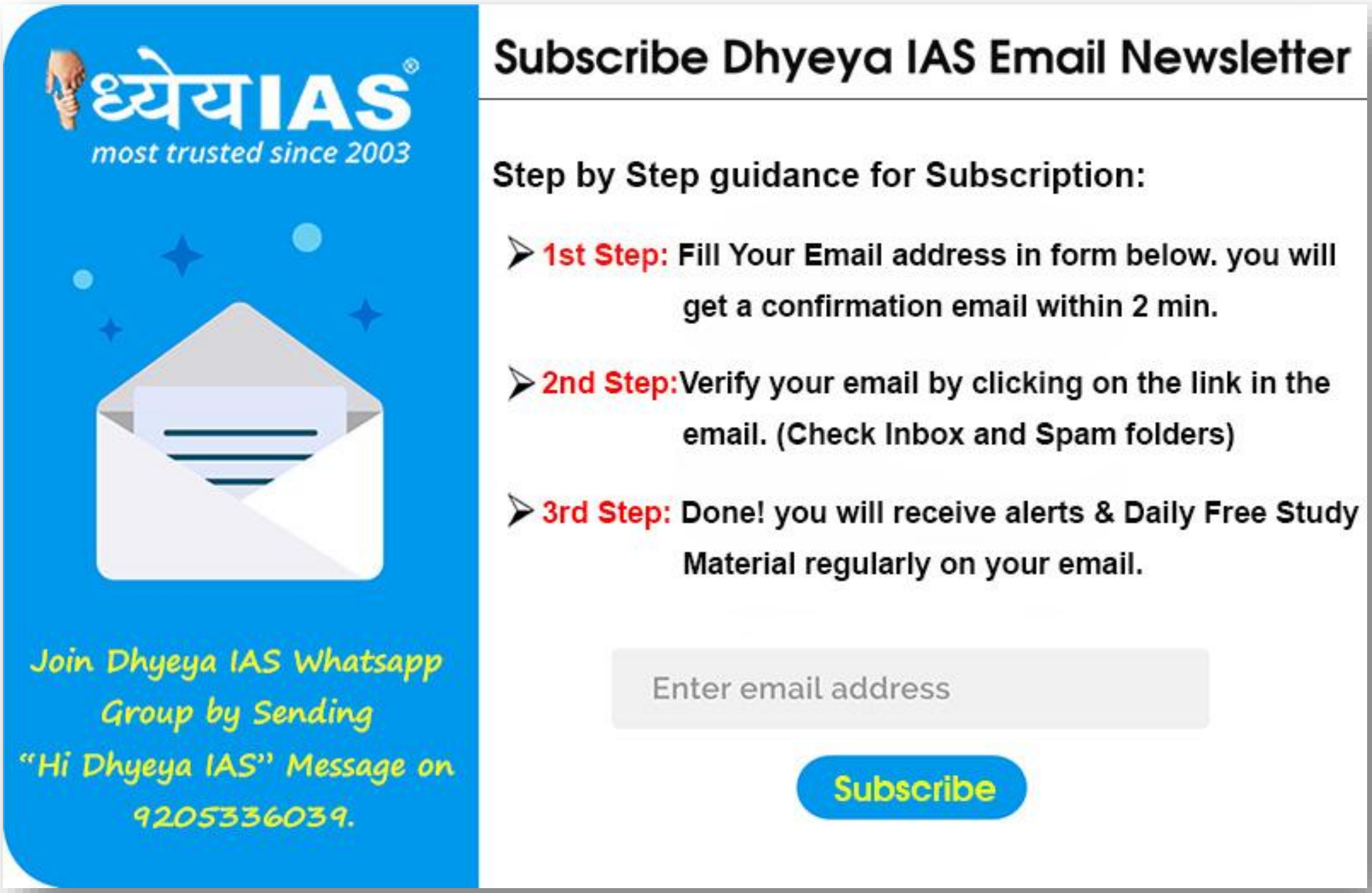

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174441 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400